



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ज्येष्ठ 13, 1937

No. 359]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015/JYAISTHA 13, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2015

सा.का.नि. 450(अ).—भारत सरकार के तकलीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के माध्यम से देश में उत्पन्न जैव जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक विनियामक ढांचे का उपबंध किया था;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान करने के लिए, पूर्व में प्रकाशित नियमों, का विहित प्राधिकारियों को और अधिक प्रभावी रूप से नियमों का कार्यान्वयन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझती है जिससे जीव चिकित्सा अपशिष्ट सृजन में कमी आए और इसका समुचित उपचार और व्ययन भी हो सके तथा इन अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टि से सुस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके;

और प्रारूप नियम, अर्थात्, जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 केंद्रीय सरकार की तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1955(अ) तारीख 24 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे जिसमें राजपत्र में अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 24 अगस्त, 2011 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उक्त अवधि के भीतर जनता से प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

और उक्त प्रारूप नियम जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रवर्गीकरण और जीव चिकित्सा अपशिष्ट भष्मीकारकों के लिए उत्सर्जन मानकों के कतिपय मुद्दों पर एक राय को अंतिम रूप दिया जाना लंबित था;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में उक्त प्रारूप नियमों का पुनरीक्षित पाठ पुनः अधिसूचित करना आशयित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1988 को अधिक्रांत करते हुए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है, और

यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते : esz-meb@nic.in पर उन्हें भेजा जा सकेगा;

आक्षेप या सुझाव, जो उपर्युक्त अवधि से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त होंगे, के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना

- (1) ये नियम उन सभी व्यक्तियों को लागू होंगे, जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन या हथालन करते हैं और निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

- (क) रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आते हैं, किए गए;
- (ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) के अधीन आने वाले गए परिसंकटमय रसायन;
- (ग) अधिनियम के अधीन बनाए गए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अधीन आने वाले अपशिष्ट;
- (घ) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अधीन आने वाले लैड एसिड बैटरियां;
- (ङ.) अधिनियम के अधीन बनाए गए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारिय संचालन) नियम, 2008 के अधीन आने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट।
- (च) अधिनियम के अधीन बनाए गए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अधीन आने वाला अपशिष्ट; और
- (छ) अधिनियम के अधीन बनाए गए परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों का विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण, अनुवांशिक रूप से तैयार किए गए सूक्ष्म जीव या कोशिका नियम, 1989 के अधीन आने वाले परिसंकटमय सूक्ष्म जीव, अनुवांशिक रूप से तैयार किए गए सूक्ष्म जीव और कोशिकाएं।

3. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

- (क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
- (ख) "पशु गृह" ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां जीव जंतुओं को अनुसंधान या परीक्षण के प्रयोजनों पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है/रखा जाता है;
- (ग) "प्राधिकरण" से इन नियमों और यथास्थिति, भारत सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन उपचार, व्ययन और/या किसी भी अन्य प्रकार के हथालन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति अभिप्रेत है।
- (घ) "प्राधिकृत व्यक्ति" से इन नियमों और यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों और जारी किए गए मार्ग दर्शन सिद्धांतों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण,

परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी भी अन्य प्रकार के हथालन हेतु, के लिए विहित प्राधिकारी प्राधिकृत कोई अधिभोगी या प्रचालक अभिप्रेत है।

(ड.) "जीव चिकित्सा अपशिष्ट" से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या उससे संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों या जैविकीय उत्पान या परीक्षण में जिसके अधीन इन नियमों की अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रवर्ग भी है, के दौरान हुआ है;

(च) "जैविक" से जीवों या सूक्ष्मजीवों का उपापच्छ या जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्पादों से बनाई गई विनिमित्तियां जो मानवों या पशुओं के निदान प्रतिरक्षण या उपचार में या उससे संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों में उपयोग के लिए आशयित है;

(छ) "जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधा" से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार, व्ययन या ऐसे उपचार और व्ययन से आनुसंगिक प्रक्रियाएं की जाती है और इसमें सामान्य उपचार सुविधाएं भी सम्मिलित है;

(ज) "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का जनन करने वाली संस्था और परिसर पर प्रशासनिक नियंत्रण हो, और भवन पर प्रशासकीय नियंत्रण हो, जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, औषधालय, पशु-चिकित्सा संस्थान, जीव जंतुसदन, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला, रक्त बैंक, स्वास्थ्य देखरेख सुविधा और क्लीनिकता प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं, चाहे चिकित्सा की कोई भी पद्धति हो या उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;

(झ) "किसी समान जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन या किसी भी प्रकार के हथालन हेतु किसी साझा सुविधा का स्वामी है या उसे नियंत्रित या प्रचालित करता है;

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध में प्ररूप अभिप्रेत है।

4. अधिभोगी के कर्तव्य -

प्रत्येक अधिभोगी का कर्तव्य होगा कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करे कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के अनुसार है।

(ख) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित कर्मकारों और अन्यो को स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए उन्हें शामिल करने के समय और तत्पश्चात् वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्रदान करे;

(ग) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित कर्मकारों और अन्यो को उन रोगों से बचाने जिसके अंतर्गत हेपेटाइटिस बी और टेटेनेस भी हैं, के लिए अपने स्वास्थ्य का प्रतिरक्षण करे जिनका जीव चिकित्सा के हथालन के कारण संक्रमण हो जाने की संभावना है।

(घ) इन नियमों के अनुसार जनन बिन्दु पर जीव चिकित्सा अपशिष्ट के पृथक्करण सुनिश्चित करना।

(ड.) समुचित और पर्याप्त व्यक्तिगत संरक्षणकारी उपस्कर प्रदान करते हुए जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी देखरेख कर्मकारों और अन्यो की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(च) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी स्वास्थ्य देखरेख कर्मकारों और अन्यो के लिए उन्हें मिल करने के समय और कम से कम वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच आयोजित करना और उसका अभिलेख रखना।

(छ) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के आंतरिक रूप से हथालन हेतु अपेक्षित आवश्यक उपस्करों और सामग्री की नियमित आपूर्ति स्थापित करना।

(ज) सृजित जीव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा, रंग कूट के अनुसार अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध का रजिस्टर अनुरक्षित करना और इसे प्रतिदिन अद्यतन करना।

(झ) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान अप्रत्याशित अनचाही दुर्घटनाओं जैसे गहरी चोट लगना, पारे का विखराव, अग्नि संकट की रिपोर्ट करने की और उपचारात्मक कार्रवाई की पद्धति विकसित करना। ऐसे अभिलेखों को रखा

जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट के साथ विहित प्राधिकारी को प्ररूप-III में प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे शून्य रिपोर्ट होने पर भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।

(ज) यदि किसी सुविधा का प्रचालक आशुचित समय के भीतर या सहमत अनुसूची के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्र नहीं करता तो विहित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करना।

(ट) यदि 30 से अधिक बिस्तर की सुविधा है तो जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध से संबंधित कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और मॉनीटर करने के लिए एक जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध समिति स्थापित करना। ऐसी इकाई या प्रकोष्ठ छह मास में एक बार बैठक करेंगे और उक्त बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख वार्षिक रिपोर्ट सहित विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रचालक के कर्तव्य. – प्रत्येक प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए कि अधिभोगी से संग्रहित यथास्थिति जीव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रत्येक प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि - हथालन भंडारण उपचार और व्ययन इन नियमों के अनुसार और केंद्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा रहा है।

(ख) स्वास्थ्य देखरेख सुविधा से जीव चिकित्सा अपशिष्ट का इन नियमों के अधीन विहित के अनुसार समय से एकत्रण को सुनिश्चित करना।

(ग) ऐसे स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों (एचसीई) या स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं (एचसीएफ) के संबंध में, जो इन नियमों के प्ररूप 7 में यथाविहित के अनुसार पृथक किए गए जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सौंप नहीं रहे हों, विहित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करना।

(घ) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी कर्मकारों को उनको शामिल करने और तत्पश्चात वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्रदान करे।

(ङ.) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अर्चविलित संक्रमण की संभावना वाले रोगों जिसके अंतर्गत हैपेटाइटिस बी और टेटेनेस हैं, के बचाव हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में सम्मिलित अपने सभी कर्मकारों की समुचित ढंग से तैनाती पूर्व चिकित्सा जांच और कम से कम वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच और प्रतिरक्षण करवाना जिनके जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान फैलने की संभावना है तथा उसके अभिलेख का अनुरक्षण करना।

(च) जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी कर्मकारों को समुचित और पर्याप्त व्यक्तिगत संरक्षणकारी उपस्कर प्रदान करते हुए उनकी व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(छ) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान अनाशयित दुर्घटनाओं जैसे गहरी चोट लगना, पारे का बिखराव, अग्नि संकट और की गई उपचारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट करने की प्रणाली विकसित करना और ऐसे अभिलेखों का अनुरक्षण और वार्षिक रिपोर्ट के साथ विहित प्राधिकारी को प्ररूप- III में प्रस्तुत करना तथा उसे शून्य रिपोर्ट होने पर भी दर्शाया जाना चाहिए।

(ज) अपने प्रत्येक उपचार उपस्कर के लिए बैच के भार; उपचारित अपशिष्ट की श्रेणियों; उपचार चक्र के समय, तारीख और अवधि तथा प्रचालन के कुल घंटों के अनुसार एक लॉग बुक रखना।

6. प्राधिकारियों के कर्तव्य. –

अनुसूची-5 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

7. उपचार और व्ययन. –

(1) जीव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार और व्ययन अनुसूची-1 क अनुसार और अनुसूची-4 में विहित मानकों के अनुपालन में किया जाएगा।

(2) किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के अधिभोगी या प्रचालक सहित कोई भी व्यक्ति जिसका जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु अनुसूची-1 में सूचीबद्ध के उपचार से भिन्न उपचार की नई प्रौद्योगिकियों का आशय है, केन्द्रीय सरकार को मानकों या प्रचालन मानदंडों के निर्धारण हेतु अनुरोध करेगा।

(3) केंद्रीय सरकार उप नियम (2) में निर्दिष्ट अनुरोध की प्राप्ति पर नई प्रौद्योगिकी के मानकों और प्रचालन पैरामीटरों को अवधारित करेगी और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा तथा अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के तदनुसार उपांतरित हो जाएंगी।

(4) प्रत्येक अधिभोगी अपना प्रचालन आरंभ करने से पहले या तो उसके परिसर में उत्पन्न जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए अपशिष्ट के उपचार हेतु ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव, शेडर जैसे अपने स्वयं के जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार उपस्कार स्थापित करेगा या किसी प्राधिकृत साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा या किसी अन्य प्राधिकृत जैव अपशिष्ट उपचार सुविधा के माध्यम से जीव चिकित्सा अपशिष्ट का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करेगा :

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी पांच सौ या उससे अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अधिभोगी को प्राप्तकर्ता पर्यावरण और ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता वाले स्थान के आधार पर जहां साझा जैव चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक भस्मक स्थापित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(5) किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रत्येक प्रचालनक अपना प्रचालन आरंभ करने से पहले उपचार के एक भाग के रूप में भस्मक, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव, शेडर और बहिस्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित करेगा।

(6) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन हेतु क्लोरीनिकृत प्लास्टिक बैग्स के उपयोग को प्रतिषिद्ध किया जाएगा और साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक ऐसे प्लास्टिकों भस्मक करते हुए द्वारा व्ययन नहीं करेगा।

(7) किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक उपचारित प्लास्टिक और शीशे जैसे पुनर्यक्रण योग्य जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति की वैध अनुमति प्राधिकरण या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त प्राधिकृत पुनर्यक्रणकर्ताओं के माध्यम से ऑटोक्लॉकिंग या माइक्रोवेविंग द्वारा उपचार सुनिश्चित करते हुए व्ययन करेगा और इसके बाद, जहां कहीं भी लागू हो, क्षतविक्षत/चिथड़े करते हुए व्ययन करेगा।

अधिभोगी उप नियम (7) में निर्दिष्ट नीलाम या बेचे गए ऐसे पुनर्यक्रणयोग्य अपशिष्टों का अभिलेख रखेगा और उसे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(8) अधिभोगी उप नियम (7) में निर्दिष्ट पुनःचक्रणीय अवशिष्ट जिसकी नीलामी की गई है या विक्रय किया गया है, के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा और उसे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(9) पारे वाले चिकित्सीय औजारों के टूट जाने की स्थिति में, पर्यावरण में पारे को छोड़े जाने से बचने या उसकी मात्रा कम करने के उद्देश्य से अधिभोगी द्वारा ऐसे अपशिष्ट को जहां तक संभव हो पृथक करने और केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार यथास्थिति इसके समुचित एकत्रण, भंडारण तथा व्ययन के लिए भी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

8. पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण. -

(1) अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को अन्य अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

(2) जीव चिकित्सा अपशिष्ट को उसके भंडारण, परिवहन, उपचार और व्ययन से पहलू अनुसूची-1 के अनुसार सृजन के स्थान पर आधान या थैलों में पृथक किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट आधान या वैग पर अनुसूची- II के अनुसार लेबल लगाया जाएगा।

(4) परिवहनकर्ता किसी अधिभोगी के परिसर से केवल अनुसूची-3 में विहित आवश्यक सूचना सहित अनुसूची-2 में यथाविहित लेबल वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ट का ही किसी ऑफ साइट जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के लिए परिवहन करेगा।

(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया है अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन ऐसे यान में किया जाएगा।

(6) प्रवर्ग मानव शारीरिक अपशिष्ट, प्राणी शारीरिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य नैदानिक प्रयोगशाला अपशिष्ट के अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट का अड़तालीस घंटों की अवधि से अधिक भंडारण नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी ऐसा करने के कारणों की लिखित सूचना देगा और कारणवश ऐसे अपशिष्ट का उक्त अवधि से आगे भंडारण करना आवश्यक हो जाता है तो प्राधिकृत व्यक्ति विहित प्राधिकारी की अनुमति लेगा और यह सुनिश्चित करने के उपाय करेगा कि इस अपशिष्ट से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(7) क्षेत्र का नगर पालिका निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा नगरपालिका सेस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार अस्पतालों और नर्सिंग होम में सृजित पृथक किया गया गैर जीव चिकित्सा ठोस अपशिष्ट और साथ ही विधिवत उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्टों को व्ययन हेतु उठाने और नगरपालिका के जमाव स्थल पर पहुंचाने का कार्य करता रहेगा।

9. विहित प्राधिकरण. —

(1) इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए विहित प्राधिकरण राज्यों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समितियां होंगी।

(2) सभी स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिसके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना के अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, औषधालयों, पशु-चिकित्सा संस्थानों, पशु गृह, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं और रक्त बैंक भी हैं इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु विहित प्राधिकारी महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं हैं। इस संबंध में विहित प्राधिकारी रक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) विहित प्राधिकारी इन नियमों की अनुसूची-5 यथा अनुबद्ध उत्तरदायित्वों का अनुपालन करेगा।

10. प्राधिकार के लिए प्रक्रिया. —

(1) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के सृजन या संग्रहण या ग्रहण या भंडारण या परिवहन या उपचार या व्ययन और/या हथालन में अन्तर्विलित साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक, जीव चिकित्सा अपशिष्ट सृजन की मात्रा चाहे कुछ भी हो, प्राधिकार प्रदान करने के लिए विहित प्राधिकारी को प्ररूप -5 में आवेदन करेगा।

परन्तु ऐसा प्राधिकार अधिभोगी के लिए केवल एक बार अपेक्षित होगा जो प्रतिमास एक हजार रोगियों से कम को उपचार या सेवा उपलब्ध करा रहा है तथा ऐसे मामलों में प्राधिकार को अनुदत्त किया गया, मान लिया जाएगा यदि उस पर सम्यक्तः संपूर्ण आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज की प्राप्ति के 90 दिन की अवधि के भीतर यदि कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है।

(2) विहित प्राधिकारी प्ररूप-1 की प्राप्ति पर ऐसी जांच करेगा जो वह उपयुक्त समझे और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास इन नियमों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के लिए आवश्यक क्षमता है तो वह प्राधिकार यथा स्थिति प्रदान या उसका नवीकरण कर सकेगा।

(3) अधिभोगी द्वारा प्रतिमास एक हजार से अधिक रोगियों को उपचार या सेवा प्रदान करने की दशा में या साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रचालक को पहला प्राधिकरण एक वर्ष की ट्रायल अवधि के लिए अनुदत्त किया जाएगा ताकि उसे अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और समाधान प्रद निष्पादन पर प्राधिकरण का किसी एक समय पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा।

(4) विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात कारणों का और लेखबद्ध किए जाने वाले उसके कारणों से प्राधिकार के नवीकरण की मंजूरी या अस्वीकृति दी जा सकेगी।

(5) प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन का व्ययन विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्यक रूप में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसके न होने पर यह समझा जाएगा कि इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकार दिया गया है।

(6) यदि अधिभोगी या प्रचालक इस अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यदि कोई हो, प्राधिकार रद्द या निलंबित कर सकेगा :

परन्तु कि अधिभोगी या प्रचालक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई भी प्राधिकार रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा।

(7) प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, हथालन, उपचार और व्ययन संबंधी कार्यकलाप, जिसके लिए पूर्व में प्राधिकार दिया गया था, में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना विहित प्राधिकारों को दी जाएगी और प्राधिकार की शर्तों में उपान्तरण के लिए प्ररूप-1 में नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

11. सलाहकार समिति. -

(1) प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन करेगा।

(2) इस समिति में उस राज्य सरकार के या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी विकास, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान विभागों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, स्थानीय निकायों या शहरी या नगर निगमों के प्रतिनिधि, भारतीय चिकित्सा, समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होंगे।

(3) सलाहकार समिति की छह मास में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी विषयों का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(4) उपर्युक्त उप नियम (i) में किसी बात के होते हुए भी, रक्षा मंत्रालय द्वारा उस मंत्रालय में इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों में महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और रक्षा मंत्रालय को सलाह देने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना की सभी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित को मिलाकर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा; अर्थात् :-

- | | | | |
|-------|---|------|---------|
| (i) | सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का अपर महानिदेशक | | अध्यक्ष |
| (ii) | रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
(उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं जिसे उस मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) | | सदस्य |
| (iii) | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
(उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं जिसे उस मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) | | सदस्य |
| (iv) | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
(उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं जिसे उस मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) | | सदस्य |
| (v) | सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय/कमांड अस्पताल का एक प्रतिनिधि
(डीजीएफएमएस द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) | | सदस्य |

(5) रक्षा मंत्रालय अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से ऐसे प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है।

(6) सलाहकार समिति छह मास में एक बार बैठक करेगी जिसमें सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।

12. सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सुविधा में नियमों के कार्यान्वयन को मानिटर करना : -

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के संबंध में इन नियमों के कार्यान्वयन को मानिटर करेगा;

(2) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक को पूर्व सूचना देने के पश्चात, और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम 11 के उप नियम (2) के अधीन गठित सलाहकार समिति के एक या अधिक प्रतिनिधियों के साथ, यदि आवश्यक समझे, किसी भी सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर सकेगा।

(3) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में और साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं में जहां जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार किया जाता है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अनुपालन को मानिटर करने के लिए सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सरकारों द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय मानिटर समिति गठित की जाएगी।

(4) जिला स्तरीय मानिटर समिति द्वारा छह मास में अपनी रिपोर्ट राज्य सलाहकार समिति को प्रस्तुत की जाएगी तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट की प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण और वन मंत्रालय और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी।

(5) जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय निगरानी समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्थानीय निकायों या नगर निगम, भारतीय चिकित्सा संघ, साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। आवश्यक होने पर इस समिति में अन्य सदस्यों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

13. वार्षिक रिपोर्ट. -

(1) साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रबंधित जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रवर्गों और मात्राओं के बारे में सूचनाओं को सम्मिलित करने के लिए विहित किए गए क्रमशः प्ररूप-2 या प्ररूप-2क में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) विहित प्राधिकारी इस सूचना को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक संकलित रूप से भेजेगा।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सूचना को प्रत्येक 30 जून तक पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक संकलित रूप में भेजेगा।

14. अभिलेखों को रखा जाना :-

(1) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इन नियमों या जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी अन्य स्वरूप के हथालन से संबंधित अभिलेख का अनुरक्षण यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार करेगा।

(2) सभी अभिलेख किसी भी समय विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण और सत्यापन के अधीन होंगे।

15. दुर्घटना की रिपोर्टिंग. -

(1) जब किसी संस्था या सुविधा या जीव चिकित्सा अपशिष्ट हथालन किए जाने वाले किसी स्थल पर या ऐसे अपशिष्ट के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो प्राधिकृत व्यक्ति तुरंत विहित प्राधिकारी को प्ररूप-3 में दुर्घटना की रिपोर्ट देगा।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति दुर्घटना पर रिपोर्ट प्ररूप 4 में दुर्घटना की तारीख से 1 मास की अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(3) दुर्घटनाओं के संबंध में सुसंगत सूचना को नियम 13 के अनुसरण में विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

16. अपील. -

(1) इन नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से कोई भी व्यक्ति उस तारीख से जिसको उसे आदेश की सूचना दी जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव (पर्यावरण) को प्ररूप-6 में अपील कर सकेगा।

(2) इन नियमों के अधीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्ररूप-5 में अपील प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु प्राधिकारी तीस दिनों की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात अपील पर ग्रहण कर सकेगा, यदि वह उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल न कर पाने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(3) अपील का निपटान उसे फाइल करने के तारीख से 90 दिन के भीतर किया जाएगा।

17. साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा. -

(1) इन नियमों के नियम 5 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, नगर निगम, नगरपालिका या वैसे स्थानीय निकाय, अपने अधिकारिता के भीतर उत्पन्न जीव चिकित्सा अपशिष्टों के लिए उपयुक्त सामान्य व्यय या भस्मीकरण स्थल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) ऐसी प्रसुविधा के लिए स्थल का चयन केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विहित प्राधिकारियों के साथ परामर्श से किया जाएगा।

18. किसी सुविधा के अधिभोगी, प्रचालक का दायित्व. -

(1) सामान्य जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक, जीव चिकित्सा अपशिष्टों के अनुचित हथालन या जीव चिकित्सा अपशिष्टों के व्ययन निपटान के कारण पर्यावरण या जनता को होने वाले सभी नुकसानों के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) अधिभोगी नगर निगम, नगर परिषद या ऐसे ही स्थानीय निकाय को अधिनियम के अधीन अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान के लिए उपयोगिता फीस का संदाय करने का दायी होगा।

अनुसूची-I

[नियम 3(ड.), 4 (ज), 7(1) और 8(2) देखें]

जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों की श्रेणियां तथा उनके शोधन और निपटान के विकल्प

श्रेणी	अपशिष्ट का प्रकार	प्रयोग की जाने वाली थैली/कंटेनर का प्रकार	शोधन और निपटान विकल्प
(1)	(2)	(3)	(4)
पीला	(क) मानवीय शारीरिक अपशिष्ट मानवीय ऊतक, अंग, शरीर के अवयव	पीले रंग के गैर क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियां	भस्मीकरण
	(ख) पशु शारीरिक अपशिष्ट पशु चिकित्सालयों या महाविद्यालयों अथवा पशुगृहों में प्रयोग अथवा परीक्षण में प्रयुक्त पशुओं से उत्पन्न अपशिष्ट सहित प्रयोगात्मक पशु मृतशरीर, शरीर के अवयव, अंग, ऊतक।		
	(ग) दूषित अपशिष्ट रक्त, शारीरिक स्राव से युक्त मर्दे जैसे दस्ताने, पट्टी, प्लास्टर कास्ट, कपड़े की झाड़ने और अवशेष या निष्प्रयोजन रक्त और रक्त के घटकों से भरी थैलियां।		
	(घ) साइटोटाक्सिक दवाओं से संदूषित सभी मर्दों सहित अतिक्रान्त अथवा निष्प्रयोजन दवाईयां।		
		गैर - क्लोरीनीकृत पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियां अथवा कंटेनर	भस्मीकरण

	(ड.) रासायनिक अपशिष्ट जैविक उत्पादन में प्रयुक्त रसायन और प्रयुक्त/निष्प्रयोजन विसंक्रामक।	पीले रंग के कंटेनर या गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियां	बहिःसाव मानकों का अनुपालन करने के लिए शोधन के पश्चात द्रव अपशिष्ट को नालियों में बहा दिया जाएगा। ठोसों का निपटान सुरक्षित भूमि भरण स्थलों में दबाकर अथवा भस्मीकरण करके किया जाएगा।
	(च) रक्त अथवा शरीरिक द्रव से संदूषित फेंके गए लीनेन, बिस्तर	गैर - क्लोरीनीकृत पीली प्लास्टिक की थैलियां या उपयुक्त पैकिंग सामग्री	भस्मीकरण या रासायनिक विसंक्रमण के बाद नगरीय स्वच्छता भूमि भरण स्थल में निपटान
	सूक्ष्मजैविकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य चिकित्सीय प्रयोगशाला अपशिष्ट प्रयोगशाला संवर्धों, सूक्ष्म जीवों के संग्रह या नमूने, सजीव या तनुकूल टीके, अनुसंधान और औद्योगिक प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त मानवीय और पशु कोशिका संवर्ध, जैविकों, अवशेष जीवविषों, संबर्धों हेतु प्रयुक्त पात्रों और यंत्रों का उत्पादन।	पीले रंग की गैर - क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियां या कंटेनर	भस्मीकरण/ऑटोक्लेविंग/माइक्रोवेविंग/हाइड्रोक्लेविंग/रासायनिक विसंक्रमण के पश्चात श्रेडिंग/म्यूटीलेशन अथवा श्रेडिंग और विसंक्रमण का संयोजन। शोधन के पश्चात सुरक्षित भूमि भरण स्थल में अंतिम निपटान या पंजीकृत या प्राधिकृत पुनर्चक्रकों, जो भी लागू हों, के माध्यम से निपटान।
लाल	संदूषित अपशिष्ट (पुनर्चक्रण योग्य) (क) ट्यूबिंग्स, बोटलों, इंद्रावीनस ट्यूबों और सेटों, कैथेटर्स, मूत्र की थैलियों, सिरिंजों (बिना सुई वाली) जैसी निपटान योग्य मदों से उत्पन्न अपशिष्ट।	लाल रंग की गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक थैलियां या कंटेनर	ऑटोक्लेविंग/माइक्रोवेविंग/हाइड्रोक्लेविंग/रासायनिक विसंक्रमण के पश्चात श्रेडिंग/म्यूटीलेशन या श्रेडिंग और विसंक्रमण का संयोजन। शोधन के पश्चात सुरक्षित/स्वच्छता भूमि भरण स्थल में अंतिम निपटान या पंजीकृत या अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र या प्राधिकृत पुनर्चक्रकों, जो भी प्रयोज्य हों, के माध्यम से या निपटान। यदि अधिभोगी पुनर्चक्रण का इच्छुक नहीं है तो भस्मीकरण का विकल्प चुना जा सकता है।
सफेद (पारभासी)	धातुओं सहित नॉकदार अपशिष्ट सुइयां, सुइयां लगी सिरिंजें, स्कालपेल्स, ब्लेड या कोई अन्य संदूषित नोकदार वस्तु जो वेधन और कर्तन का कारण बन सकती है। इसमें प्रयुक्त, निष्प्रयोजन और संदूषित नोकदार शामिल वस्तुएं हैं।	छेद रहित कंटेनर	रासायनिक विसंक्रमण/ऑटोक्लेविंग के पश्चात श्रेडिंग मल्टीलेशन/विसंक्रमण द्वारा धातु के कंटेनर या सीमेंट कंक्रीट में बंद करना; श्रेडिंग और ऑटोक्लेविंग का संयोजन; सुई और नॉकदार कटरों द्वारा नष्ट करना; जो भी प्रयोज्य हों, और पंजीकृत या प्राधिकृत पुनर्चक्रकों के माध्यम से अथवा सुरक्षित/स्वच्छता भूमि भरण स्थल या निर्धारित कंक्रीट अपशिष्ट शार्प पिट में अंतिम निपटान।
नीले	कांटा टूटा या निष्प्रयोजन और संदूषित कांच		

टिप्पण :

- (1) कम से कम 1% हाइथोक्लोराइट घोल या किसी अन्य समान रासायनिक अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए रासायनिक उपचार। यह सुनिश्चित किया जाना है कि रासायनिक घोल में रासायनिक उपचार के दौरान पूरे समय विसंक्रमित करना हो।
- (2) म्यूटीलेशन/श्रेडिंग ऐसी हो कि अनाधिकृत पुनःप्रयोग रोका जा सके।
- (3) भस्मीकरण से पूर्व कोई रासायनिक पूर्वोपचार नहीं होगा। क्लोरीनीकृत प्लास्टिक/थैलियों का भस्मीकरण नहीं किया जाएगा।
- (4) नगरों और शहरों में भूमि में गहरा दबाकर जैवचिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान निषेध होगा। अधिकृत प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से मात्र ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों जहां साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा की पहुंच नहीं है, में ही भूमि गहरे दबाकर निपटान की अनुमति है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि में गहरे में दबाने की सुविधा निर्धारित की जाएगी।
- (5) प्रयोगशाला, धुलाई, सफाई, गृह व्यवस्था और विसंक्रमीकरण क्रियाकलापों से उत्पन्न द्रव अपशिष्ट को अधिभोग अथवा सुविधा प्रचालक के परिसर से उत्पन्न अन्य प्रदूषक के साथ शोधित किया जाएगा ताकि इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित बहिःसाव मानकों को पूरा किया जा सके।
- (6) यदि विषाक्त अथवा खतरनाक अवयव, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2008 में दी गई निर्धारित सीमाओं से अधिक पाए जाते हैं तो भस्मीकरण राख (किसी जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के भस्मीकरण से प्राप्त राख) को सुरक्षित भूमि भरण स्थल में निपटाया जाएगा।

भस्मीकरण सुविधा अथवा कैप्टिव भस्मीकरण वाली सभी आगामी साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधाओं में डायोक्सिन और भट्टियों के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

अनुसूची II

(नियम 8(3) और (4) देखें)


जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट कन्टेनरों/थैलियों के लिए लेबल

बायोहेजार्ड



साइटोटोक्सिक हेजार्ड चिह्न

CYTOTOXIC HAZARD SYMBOL



सावधानीपूर्वक उपयोग करें

टिप्पणी : लेबल धुलाई योग्य नहीं होगा और प्रमुखता से दिखाई देने वाले होंगे।

अनुसूची III

(नियम 8(4) देखें)

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट कन्टेनरों या थैलियों के परिवहन हेतु लेबल

दिन माह

वर्ष

सृजन की तारीख

अपशिष्ट श्रेणी सं.

अपशिष्ट मात्रा

प्रेषक का नाम और पता

प्राप्तकर्ता का नाम और पता

दूरभाष सं.

दूरभाष सं.

टैलेक्स सं.

टैलेक्स सं.

फैक्स सं.

फैक्स सं.

संपर्क सूत्र

संपर्क सूत्र

आपात स्थिति में कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें

नाम और पता :

दूरभाष सं. :

टिप्पणी :

लेबल धुलाई योग्य नहीं होंगे और प्रमुखता से दिखाई देने वाले होंगे।

अनुसूची IV

(नियम 7(1) और 7(2) देखें)

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के शोधन और निपटान हेतु मानक

सभी भस्मक के निम्नलिखित प्रचालन और उत्सर्जन मानक पूरे करेंगे।

क. प्रचालन मानक

1. दहन दक्षता (सीई) कम से कम 99% होगी।
2. दहन दक्षता की गणना इस प्रकार की जाएगी।

$$\%सीओ_2$$

$$सीई = \frac{\%सीओ_2}{\%सीओ_2 + \%सीओ} \times 100$$
3. प्राइमरी चैम्बर का तापमान न्यूनतम 800° सेल्सियस और सेकेण्डरी चैम्बर का न्यूनतम तापमान 1050° सेल्सियस होगा।
4. सेकेण्डरी चैम्बर में गैस रहने का समय कम से कम दो सेकंड होगा।

ख. उत्सर्जन मानक

क्र.सं.	पैरामीटर	मानक	
		3.	4.
1.	2.	जब तक नियत न किया गया हो एमजी/एनएम ³ में सांद्रता सीमांत	जब तक नियत न किया गया हो मिनट वार सैपलिंग अंतराल
1)	महीन कण	100	30 या आईएनएम ³ का सैम्पल वॉल्यूम (अथवा सैम्पल वॉल्यूम), जो भी अधिक हो
2)	नाइट्रोजन ऑक्साइड एनओ और एनओ ₂ के रूप में व्यक्त एनओ ₂	400	ऑनलाइन सैम्पलिंग या ग्राह सैम्पल के लिए 30
3)	एचसीएल	50	30 या आईएनएम ³ का सैम्पल वॉल्यूम (अथवा सैम्पल वॉल्यूम), जो भी अधिक हो
4)	कुल डायोक्सिन और भट्टियां**	0.1 एनजीटीईक्यू/एनएम ³ (11% ओ ₂ पर)	8 घंटे या 5 एनएम ³ का सैम्पल वॉल्यूम, जो भी अधिक हो
5)	एचजी और इसके योगिक	0.05	2 घंटे या आईएनएम ³ का सैम्पल वॉल्यूम, जो भी अधिक हो

ग. स्टेक ऊंचाई : न्यूनतम स्टेक ऊंचाई भूमि से 30 मीटर ऊपर होगी।

टिप्पण :

- (क) **मौजूदा भस्मक इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर 0.1 एनजीटीईक्यू/एनएम³ के अनुसार डायोक्सिनों और भट्टियों के लिए मानकों का अनुपालन करेंगे।
- (ख) यदि आवश्यक हो, तो उपर्युक्त उत्सर्जन सीमाओं की प्राप्ति हेतु भस्मक में उपयुक्त रूप से तैयार किए गए प्रदूषण संरक्षण यंत्र लगे होने चाहिए या बाद में लगा देने चाहिए।
- (ग) भस्म किए जाने वाले अपशिष्टों को किसी भी प्रकार के क्लोरीनीकृत जीवाणुनाशकों से शोधित नहीं किया जाएगा।
- (घ) क्लोरीनीकृत प्लास्टिक को भस्म नहीं किया जाएगा।
- (ङ.) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के भस्मीकरण से प्राप्त राख का निपटान साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। तथापि यदि भस्मीकरण राख में विषैली धातुएं खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन तथा सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2008 के अधीन यथापारिभाषित विनियामक मात्राओं के भीतर हैं तो इनका निपटान नगरीय भूमि भरण स्थल में किया जाएगा।
- (च) भस्मक में ईंधन के रूप में केवल हल्के डीजल ऑयल या न्यून सल्फर भारी स्टॉक या डीजल जैसे केवल न्यून सल्फर ईंधन का प्रयोग किया जाएगा।
- (छ) किसी साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अनुमोदित किसी प्रयोगशाला के माध्यम से तीन माह में एक बार स्टैक गैसीय उत्सर्जन (भस्मक की इष्टतम क्षमता के अधीन) की मॉनीटरी करेगा और

उक्त विश्लेषण परिणामों का अभिलेख रखा जाएगा तथा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। डायोक्सिनों और भट्टियों के मामले में वर्ष में एक बार मॉनीटरिंग की जाएगी।

- (ज) सभी मॉनीटरिंग किए गए मान शुष्क आधार पर 11% ऑक्सीजन तक शुद्ध किए जाएंगे।
- (झ) भस्मक (दहन चैम्बर) ऐसे तापमान, धारण समय और विक्रोभ के साथ प्रचालित किए जाएंगे जिससे धातुमल और तली की राख में कुल जैविक कार्बन (टीओसी) की मात्रा 3% से कम प्राप्त की जा सके या ज्वलन पर उनकी क्षति शुष्क भार की 5% से कम हो।
- (ञ) साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट भस्मक का अधिभोगी या प्रचालक सीओ₂, सीओ और ओ₂ को मापने के लिए दहन गैस एनालाइजर का प्रयोग करेगा।

2. अपशिष्ट ऑटोक्लेविंग हेतु मानक :-

ऑटोक्लेव को रोगाणुमुक्त और उपचारित करने के प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लाया जाना चाहिए।

- (1) गुरुत्व प्रवाह ऑटोक्लेव को प्रचालित करते समय, चिकित्सीय अपशिष्ट निम्नलिखित के अधीन होगा :
- कम से कम 60 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 121⁰ से. का तापमान और 15 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
 - कम से कम 45 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 135⁰ से. का तापमान और 31 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
 - कम से कम 30 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 149⁰ से. का तापमान और 15 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव;
- (2) किसी वैक्यूम ऑटोक्लेव को प्रचालित करते समय चिकित्सीय अपशिष्ट ऑटोक्लेव से संपूर्ण वायु को निष्कासित करने के लिए न्यूनतम एक वैक्यूम-पूर्व पल्स के अध्यधीन होगा। वैक्यूम पूर्व चक्र के दौरान निष्कासित वायु को एचईपीए और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टरेशन, वाष्प शोधन या किसी अन्य विधि द्वारा संदूषण मुक्त किया जाए। अपशिष्ट निम्नलिखित के अधीन होगा :
- कम से कम 45 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 121⁰ से. का तापमान और 15 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
 - कम से कम 30 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 135⁰ से. का तापमान और 31 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
- (3) चिकित्सीय अपशिष्ट को तब तक समुचित रूप से शोधन नहीं मान लेना चाहिए जब तक कि समय, तापमान और दबाव सूचक यह न दर्शाए कि ऑटोक्लेव प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समय, तापमान और दबाव की प्राप्ति की गई। यदि किसी भी कारण से समय, तापमान या दबाव सूचक यह दर्शाता है कि अपेक्षित तापमान, दबाव या रेजिडेन्स समय की प्राप्ति नहीं हुई थी तो चिकित्सीय अपशिष्ट का संपूर्ण भार पुनः ऑटोक्लेव किया जाना चाहिए जब तक कि उचित तापमान, दबाव और रेजिडेन्स समय की प्राप्ति न हो जाए।
- (4) प्रचालन पैरामीटरों की रिकॉर्डिंग :
- प्रत्येक ऑटोक्लेव में ग्राफिक या कम्प्यूटर रिकॉर्डिंग यंत्र होंगे जो ऑटोक्लेव चक्र की संपूर्ण अवधि में तिथियां, दिन का समय, भार पहचान संख्या और प्रचालन पैरामीटर को स्वतः और लगातार मॉनीटर तथा रिकॉर्ड करेगा।
- (5) वैधता जांच
- बैधता जांच में चार जीवाणु सूचक वायल्स या स्ट्रिप्स का प्रयोग होगा; एक का प्रयोग नियंत्रण के रूप में होगा और इसे कमरे के तापमान पर रखा जाएगा और तीन को अपशिष्ट युक्त तीन कंटेनरों के समीपवर्ती केन्द्र में रखा जाएगा। जैविक संकेतकों को रखने के प्रयोजन से कंटेनर खोलते समय अपने सुरक्षा उपकरण (दस्ताने, फेस मास्क और कवरआल) का प्रयोग किया जाएगा। वाष्प भरने के लिए जैविक संकेतक सहित कम से कम एक कंटेनर सर्वाधिक कठिन स्थान सामान्यतः अपशिष्ट के ढेर की तली के बीच रखा जाना चाहिए। अधिभोगी या प्रचालक न्यूनतम प्रचालन शर्तें निश्चित करने के लिए लगातार तीन बार यह जांच करेंगे। तापमान, दबाव और ठहराव समय जब लगातार तीन जांचों के सभी जीवाणु संकेतक वायल्स या स्ट्रिप्स जीवाणुओं की पूर्ण रूपेण निष्क्रियता दर्शाएं तो ऑटोक्लेव के लिए न्यूनतम प्रचालन शर्तें निर्धारित की जाएंगी। न्यूनतम तापमान, दबाव और ठहराव समय निर्धारित करने के पश्चात् साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक तीन महीने में कम से कम एक बार यह जांच करेगा और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- जीवाणु जांच :
- ऑटोक्लेव को प्रत्येक ऑटोक्लेव इकाई की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित जैविक सूचक को पूर्णतः और लगातार मार देना चाहिए। ऑटोक्लेव के लिए कम से कम 1X10⁴ जीवाणु प्रति मिलि लीटर सहित वायल्स या जीवाणु स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हुए बेसिल्लस स्टीएरोथर्मोफिलिस स्पॉर्स होगा किसी भी स्थिति में किसी ऑटोक्लेव के न्यूनतम प्रचालन पैरामीटर 30 मिनट के रेजिडेन्स समय चाहे कितना और दबाव हो, 121⁰ से. तापमान या 15 पीएसआई से दबाव से कम नहीं होंगे। साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक तीन माह में कम से कम एक बार जांच करेगा और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

(6) नेमी जांच

किसी विशिष्ट तापमान की प्राप्ति का सत्यापन करने के लिए उस रसायन सूचक स्ट्रिप या टेप का प्रयोग किया जा सकता है जिसका रंग कतिपय तापमान पर पहुंचने पर परिवर्तित हो सकता है। यह आवश्यक होगा कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपशिष्ट पैकेज के ऊपर एक से अधिक स्ट्रिप का उपयोग किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैकेज की आंतरिक सामग्री को पर्याप्त रूप से ऑटोक्लेव कर दिया गया है। साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक प्रत्येक बैच की ऑटोक्लेविंग के दौरान यह जांच करेगा और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

3. द्रव अपशिष्ट के लिए मानक -

किसी साझा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा के अधिभोगी या प्रचालक के भवन से उत्सर्जित या शोधित बहिःस्राव को छोड़े जाने से पहले निम्नलिखित सीमाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए।

पैरामीटर	अनुमेय सीमाएं
पीएच (pH)	6.5-9.0
निलंबित ठोस	100 मिग्रा/लीटर
तेल और ग्रीस	10 मिग्रा/लीटर
बीओडी	30 मिग्रा/लीटर
सीओडी	250 मिग्रा/लीटर
जैव-परिमाण परीक्षण	100% बहिःस्राव में 96 घंटों के बाद मछली की 90% उत्तर जीविता

4. माइक्रोवेविंग के मानक -

- (1) माइक्रोवेव शोधन को साइटोटॉक्सिक, खतरनाक या रेडियोधर्मी अपशिष्टों, संक्रमित पशु कंकालों, शरीर के अंगों और धातु की बड़ी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
- (2) माइक्रोवेव प्रणाली, प्रभावकारिता परीक्षण या नेमी परीक्षणों के अनुरूप होगी और आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित सीमा का प्रचालन शुरू करने से पूर्व एक कार्य-निष्पादन गारंटी प्रदान की जाएगी।
- (3) माइक्रोवेव को प्रत्येक माइक्रोवेव इकाई की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित जैविक सूचक द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले जीवाणु और अन्य रोगजनक जीवों को पूर्णतः और निरन्तर रूप से मार देना चाहिए। माइक्रोवेव के लिए जैविक सूचक कम से कम 1×10^4 बीजाणु प्रति मिलिलीटर के साथ कूपक या बीजाणु पट्टी का प्रयोग करते हुए दण्डाणु अपक्षयक बीजाणु होगा। जैविक सूचक अपशिष्ट के साथ निर्धारित किए जाएंगे और उन्हीं परिस्थितियों में उजागर किए जाएंगे जैसा-सामान्य शोधन चक्र के दौरान अपशिष्ट के लिए होता है।

5. गहराई में दबाने हेतु मानक -

- (1) लगभग 2 मीटर गहरा गड्ढा या खाई खोदी जानी चाहिए। इसे अपशिष्ट से आधा भर देना चाहिए और बाकी गड्ढे को मिट्टी से भरने से पहले सतह के 50 सेमी अंदर चूना भर देना चाहिए।
- (2) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दबाने वाले स्थल तक जानवरों की कोई पहुंच न हो। जस्तेदार लोहे या तारों के जाल के कवर का उपयोग किया जा सकता है।
- (3) प्रत्येक बार, जब गड्ढे में अपशिष्ट डाला जाता है, तो अपशिष्टों को ढकने के लिए मिट्टी की 10 से.मी. की परत डाली जाएगी।
- (4) दबाने का कार्य गहन और समर्पित पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए।
- (5) गहराई से दबाने का स्थल अपेक्षाकृत अप्रवेश्य होना चाहिए और स्थल के निकट कोई कम गहरा कुआं नहीं होना चाहिए।
- (6) गड्ढे आवास-स्थल से दूर होने चाहिए और ऐसे अवस्थित होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सतही जल या भूमि जल में कोई संदूषण न हो। यह क्षेत्र बाढ़ या अपरदन के प्रति प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।
- (7) गहराई से दबाने का स्थान, विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होगा।
- (8) संस्थान, गहराई से दबाने के लिए प्रयुक्त सभी गड्ढों का रिकार्ड रखेगा।
- (9) भूमि जल सारणी स्तर, गहराई से दबाने वाले गड्ढे के निचले स्तर से कम से कम छः मीटर नीचे होगा।

अनुसूची V

[नियम 6 देखें]

प्राधिकरणों और तदनुरूपी कर्तव्यों की सूची

क्र.सं.	प्राधिकरण	तदनुरूपी कर्तव्य
1.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	(i) नियमों की अधिसूचना और जब कभी अपेक्षित हो इन नियमों में संशोधनों सहित देश में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी नीतियां बनाना । (ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के लिए जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों के संबंध में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना । (iii) साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
2.	केन्द्रीय या राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय या राज्य पशु चिकित्सा और पशु-पालन मंत्रालय	(i) विहित प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करने के अधीन स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं या नर्सिंग होम या पशु चिकित्सा प्रतिष्ठानों हेतु लाइसेंस प्रदान करना। (ii) प्राधिकार की शर्तों या इन नियमों के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के लिए स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं या नर्सिंग होम या पशु चिकित्सा प्रतिष्ठानों हेतु लाइसेंस की अस्वीकृति या रद्द करना । (iii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्सर्जन, शोधन और निपटान से संबंधित स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की राष्ट्रीय सूची का प्रकाशन । (iv) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोखिमों के संदर्भ में मूल्यांकन करना । (v) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की समग्र समीक्षा और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन करना । (vi) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों के संबंध में विनियामक प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षणों को आयोजित या प्रायोजित करना । (vii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जन जागरूकता अभियानों को प्रायोजित करना ।
3.	रक्षा मंत्रालय	(i) सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों या साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं को प्राधिकार की मंजूरी और नवीकरण (नियम 8) । (ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों या शोधन सुविधाओं में जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के प्रबंधन का कार्य करने वाले प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना । (iii) अपनी सलाहकार समिति के माध्यम से सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्सर्जन के प्रबंधन की समीक्षा (नियम 9) । (iv) सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों से जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्सर्जन संबंधी सूची का प्रकाशन और निर्धारित समयावधि के अंदर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण (नियम 10) ।
4.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कार्यकलापों का समन्वयन । (ii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य करने वाले प्राधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन । (iii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के शोधन और निपटान हेतु नई प्रौद्योगिकियों के लिए मानकों का निर्धारण (नियम 5) तथा जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के शोधन और निपटान हेतु विनिर्देशों का निर्धारण (नियम 5) । (iv) स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं तथा साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं का यादृच्छिक निरीक्षण या मॉनीटरिंग । (v) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को समेकित वार्षिक प्रतिवेदन सूचना का प्रस्तुतीकरण ।

		(vi) महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का निरीक्षण और मॉनीटरी (नियम 9) । (vii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के संबंध में अनुसंधान या प्रचालनात्मक अनुसंधान करना या इसमें सहयोग करना ।
5.	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या प्रशासन	(i) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को पर्याप्त निधियों का आबंटन । (ii) सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शोधन उपकरणों का प्रापण और आबंटन । (iii) इन नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सलाह देना । (iv) सलाहकार समितियों की सिफारिशों का क्रियान्वयन।
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां	(i) स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्सर्जन की सूची बनाना और निर्धारित समयावधि के अंदर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण । (ii) इन नियमों के अधीन प्राधिकार की मंजूरी और नवीकरण या अस्वीकृति, रद्दकरण या निलंबन (नियम 7, 8 और 10) (iii) प्राधिकार के विभिन्न उपबंधों और शर्तों के अनुपालन की मॉनीटरी । (iv) इन नियमों के उल्लंघन के लिए स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं या साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं के विरुद्ध कार्रवाई (नियम 15) । (v) जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के पृथक्करण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, शोधन और निपटान के संबंध में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं या साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन । (vi) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अनुसंधान या प्रचालनात्मक अनुसंधान करना या उसमें सहायता करना । (vii) इन नियमों के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य । (viii) सलाहकार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन ।
7.	ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं या निगमों जैसी स्थानीय निकाय	(i) अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्र में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के सुरक्षित शोधन और निपटान के लिए साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के विकास के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध या आबंटित करना। (ii) इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य ।

प्ररूप-1

(नियम 10 देखें)

प्राधिकार या प्राधिकार के नवीकरण हेतु आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

विहित प्राधिकरण

(राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम)

पता

1. आवेदक का विवरण

(i) आवेदक का नाम

(पूरा नाम बड़े अक्षरों में)

- (ii) संस्थान का नाम :
- (iii) पता. :
- (iv) दूरभाष सं., फैंक्स सं., टेलेक्स सं.
- (v) ई-मेल
2. कार्यकलाप, जिनके लिए प्राधिकार मांगा गया है :
- (i) उत्पादन
- (ii) संग्रहण
- (iii) ग्रहण
- (iv) भण्डारण
- (v) परिवहन
- (vi) शोधन
- (vii) निपटान
- (viii) हथालन का कोई अन्य स्वरूप
3. कृपया बताएं कि क्या आवेदन नए प्राधिकार या नवीकरण के लिए किया जा रहा है :
- (i) नवीकरण के मामले में पिछली प्राधिकार-संख्या और तारीख :
- (ii) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति की स्थिति :
4. (i) जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का हथालन करने वाले संस्थान का पता :
- (ii) शोधन सुविधा के स्थान का पता :
- (iii) अपशिष्टों के निपटान के स्थान का पता :
5. (i) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के परिवहन (यदि कोई हो) की पद्धति :
- (ii) शोधन की पद्धति :
6. जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्थाओं, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के भण्डारण के लिए व्यवस्थाओं, शोधन और निपटान की पद्धति का संक्षिप्त विवरण (ब्यौरा संलग्न करें) :
7. (i) स्वास्थ्य देखरेख सुविधा में बिस्तरों की संख्या :
- (ii) स्वास्थ्य देखरेख सुविधा में प्रतिमाह इलाज किए गए मरीजों की संख्या :
- (iii) हथालन किए जाने वाले अपशिष्ट की श्रेणी (अनुसूची 1 देखें) :
- (iv) प्रतिमाह हथालन किए जाने वाले अपशिष्ट (श्रेणी-वार) की मात्रा :
8. घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण और सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैंने कोई सूचना नहीं छुपाई है।

मैं यह वचन भी देता हूँ कि इन नियमों के संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा मांगी गई कोई भी अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराऊंगा और विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करूंगा।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

आवेदक का पदनाम

प्ररूप-11

(नियम 13 देखें)

वार्षिक रिपोर्ट

(स्वास्थ्य देखरेख सुविधा या स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठान अर्थात् अधिभोगी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 जनवरी को या उससे पहले विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हेतु)

क्र.सं.	विवरण		
1.	अधिभोगी का विवरण	:	
	(i) प्राधिकृत व्यक्ति (अधिभोगी) का नाम	:	
	(ii) संस्थान का नाम	:	
	(iii) पता :	:	
	(iv) दूरभाष सं. , फैक्स सं.	:	
	(v) ई-मेल आईडी	:	
	(vi) स्वास्थ्य देखरेख सुविधा का स्वामित्व	:	(राज्य सरकार या निजी या अर्ध सरकारी या कोई अन्य)
	(vii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम के अंतर्गत प्राधिकार की स्थिति	:	प्राधिकार सं. तक मान्य
	(viii) जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अंतर्गत अनुमतियों की स्थिति	: तक मान्य
2.	स्वास्थ्य देखरेख सुविधा का प्रकार	:	
	(i) बिस्तरों वाला अस्पताल	:	बिस्तरों की सं.....
	(ii) बिस्तर रहित अस्पताल	:	क्लीनिक/रक्त बैंक या प्रयोगशाला या पशु चिकित्सा अस्पताल या कोई अन्य
	(iii) लाइसेंस संख्या और इसकी समाप्ति की तारीख	:	
3.	उत्सर्जित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की श्रेणियां (कृपया अनुसूची-1 के अनुसार श्रेणी इंगित करें)	:	
4.	उत्सर्जित अपशिष्ट की प्रतिवर्ष किग्रा या टन की मात्रा (मासिक औसत आधार पर)		पीली श्रेणी :
			लाल श्रेणी :
			सफेद :
			नीली श्रेणी :
5.	अतिरिक्त ब्यौरा :		
	(i) स्थल पर भण्डारण सुविधा का संक्षिप्त ब्यौरा	:	आकार : क्षमता : स्थल पर भण्डारण का प्रावधान : (शीतागार या कोई अन्य प्रावधान)
(ii) स्थल पर शोधन सुविधाओं का संक्षिप्त ब्यौरा		:	भस्मीकरण (हां/नहीं)
		:	ऑटोक्लेविंग (हां/नहीं)
		:	माइक्रोवेविंग (हां/नहीं)
		:	श्रेडिंग (हां/नहीं) सुई नष्ट करने और काटने वाला : (हां/नहीं) सुई नष्ट करने वाला :सं. सुई काटने वाला :सं.
		:	द्रव अपशिष्ट बहिःसाव शोधन संयंत्र (हां/नहीं)

(iii)	स्थल पर शोधन सुविधा की संस्थापित क्षमता	:	भस्मीकरण : किग्रा/घंटा
		:	ऑटोक्लेविंग : किग्रा/बैच
		:	माइक्रोवेविंग : किग्रा/बैच
		:	श्रेडिंग : किग्रा/बैच
		:	द्रव अपशिष्ट बहिःस्राव शोधन संयंत्र : कि.ली. में
(iv)	स्थल पर अपशिष्ट शोधन सुविधा में शोधित अपशिष्ट की प्रतिवर्ष किग्रा या टन में वास्तविक मात्रा (मासिक औसत आधार पर)	:	भस्मीकरण :
		:	ऑटोक्लेविंग :
		:	माइक्रोवेविंग :
		:	श्रेडिंग :
		:	द्रव अपशिष्ट शोधन : कि.ली. में
(v)	शोधन के बाद प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को बेचे गए पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्टों की प्रतिवर्ष किग्रा या टन में वास्तविक मात्रा (मासिक औसत आधार पर)	:	लाल श्रेणी (प्लास्टिक, कांच आदि जैसी)
(vi)	साझा सुविधा के प्रचालक के माध्यम से निपटाए गए अपशिष्टों की प्रतिवर्ष किग्रा या टन में वास्तविक मात्रा (मासिक औसत आधार पर)	:	पीली श्रेणी :
		:	लाल श्रेणी :
		:	नीली श्रेणी :
		:	सफेद श्रेणी :
(क)	साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा के प्रचालक का नाम, जिसके माध्यम से अपशिष्टों का निपटान किया जाता है	:	
(ख)	शोधन सुविधा का दूरभाष, फैक्स, और ई-मेल आईडी सहित नाम और पता	:	
(vii)	साझा शोधन सुविधा तक अपशिष्टों के परिवहन का माध्यम	:	
6.	कोई अन्य संगत सूचना	:	(कृपया द्रव अपशिष्ट बहिःस्राव शोधन संयंत्र, भस्मक के साथ लगे वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का योजनाबद्ध आरेख संलग्न करें)
7.	प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त रिपोर्ट	:	से
 तक की अवधि के लिए है।		

संस्थान के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप- III
(नियम 13 देखें)
वार्षिक रिपोर्ट

(साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के प्रचालक द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 जनवरी तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए)

क्र.सं.	विवरण	:	
1.	सुविधा के प्रचालक का विवरण	:	
	(i) प्राधिकृत व्यक्ति (सुविधा के प्रचालक) का नाम	:	
	(ii) साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा का नाम	:	

	(iii) सुविधा का पता	:	
	(iv) दूरभाष सं., फैक्स सं.	:	
	(v) ई-मेल आईडी	:	
	(vi) साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा का स्वामित्व	:	(राज्य सरकार या निजी या अर्ध सरकारी या कोई अन्य)
	(vii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों के अधीन प्राधिकार	:	प्राधिकार सं.तक मान्य
	(viii) जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अंतर्गत अनुमतियों की स्थिति	:तक मान्य
2.	जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट श्रेणी	:	
	(i) सदस्य स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं या स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों से प्राप्त अपशिष्ट श्रेणियां (कृपया अनुसूची-1 के अनुसार श्रेणी संख्या इंगित करें)	:	
	(ii) उत्सर्जित अपशिष्ट श्रेणियां (कृपया जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों के अनुसार श्रेणी संख्या इंगित करें)	:	
3.	प्राप्त अपशिष्ट की प्रतिवर्ष कि.ग्रा. या टन में मात्रा	:	पीली श्रेणी: : लाल श्रेणी: : नीली श्रेणी: : सफेद श्रेणी:
4.	जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के एकत्रण और परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों की संख्या	:	
5.	अतिरिक्त ब्यौरा :		
	(i) साझा शोधन सुविधा में शोधन इकाइयों का संक्षिप्त ब्यौरा	:	अपशिष्ट भंडारण कमरा (हां/नहीं) भस्मीकरण (हां/नहीं) ऑटोक्लेविंग (हां/नहीं) माइक्रोवेविंग (हां/नहीं) थ्रेडिंग (हां/नहीं) द्रव अपशिष्ट बहिःस्राव शोधन संयंत्र (हां/नहीं) वाहन धुलाई सुविधा (हां/नहीं) डीजी सैट प्रावधान (हां/नहीं)
	(ii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा की शोधन इकाइयों की संस्थापित क्षमता	:	भंडारण और भंडारण के प्रावधान : भस्मीकरण : कि.ग्रा./घंटा ऑटोक्लेविंग :कि.ग्रा./बैच माइक्रोवेविंग :कि.ग्रा./बैच थ्रेडिंग :कि.ग्रा./बैच
			द्रव अपशिष्ट हेतु ईटीपी : कि.ली. में सम्पुटन ढांचा/नोकदार गड्ढा सुरक्षित भूमि भरण
	(iii) शोधित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की प्रतिवर्ष कि.ग्रा. या टन में श्रेणी वार मात्रा (मासिक औसत आधार पर)	:	पीली श्रेणी : लाल श्रेणी :

			नीली श्रेणी :
			सफेद श्रेणी :
	(iv) शोधन के बाद प्राधिकृत प्रनुचक्रकों को बेचे गए पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों की प्रतिवर्ष कि.ग्रा. या टन में वास्तविक मात्रा (मासिक औसत आधार पर)	:	लाल श्रेणी : (मद-वार ब्यौरा और मात्रा दर्शाएं)
	(v) अपशिष्टों के शोधन के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट की प्रतिवर्ष कि.ग्रा. या टन में मात्रा (मासिक औसत आधार पर)	:	भस्मीकरण राख :
			बहिःसाव उपचार संयंत्र गाद :
	(vi) सुरक्षित भूमि भरण में निपटाए गए अपशिष्टों की प्रतिवर्ष कि.ग्रा. या टन में वास्तविक मात्रा (मासिक औसत आधार पर)	:	भस्मीकरण राख :
			बहिःसाव शोधन संयंत्र गाद :
	(क) सुरक्षित भूमि भरण का नाम और स्थान जहां निपटान योग्य अपशिष्टों का निपटान किया जाता है	:	
	(vii) अधिभोगी से साझा शोधन सुविधा तक जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के परिवहन का माध्यम	:	
6.	(i) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या (ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नियम 12 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित दुर्घटनाओं की संख्या	:	
7.	क्या आपकी जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन समिति है? यदि हां, तो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त संलग्न करें।		
8.	कोई अन्य संगत सूचना		(कृपया जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा का विभिन्न इकाइयां दर्शाते हुए मानचित्र, द्रव अपशिष्ट बहिःसाव शोधन संयंत्र का प्रवाह चित्र, वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों सहित भस्मक का योजनावत चित्र संलग्न करें)
9.	प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट		
से.....		
 तक की अवधि के लिए है ।		

तारीख :

संस्था के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

प्रारूप-IV

(नियम 4 (झ) 5 (छ) और 15 (2) देखें)

दुर्घटना की रिपोर्ट

1. दुर्घटना की तारीख तथा समय :
2. दुर्घटना होने का घटनाक्रम :
3. दुर्घटना में अंतर्विलित अपशिष्ट :
4. मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों का निर्धारण :
5. किए गए आपात उपाय :
6. दुर्घटना के प्रभावों का उपशमन करने हेतु उठाए गए कदम
7. ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उठाए गए कदम

तारीख :

हस्ताक्षर

स्थान

पदनाम

प्ररूप-V

(नियम 10 देखें)

(जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के उत्सर्जन, एकत्रण, ग्रहण, शोधन, भंडारण, परिवहन और निपटान हेतु सुविधा के प्रचालन के लिए प्राधिकार)

1. प्राधिकार की फाइल संख्या और जारी करने की तारीख.
.....
2.के.....को.....
.....में अवस्थित परिसर में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के एकत्रण, ग्रहण, शोधन, भंडारण, परिवहन और निपटान हेतु एक सुविधा प्रचालित करने का प्राधिकार स्वीकृत किया जाता है।
3. यह प्राधिकार जारी होने की तारीख सेवर्षों की अवधि के लिए लागू होगा।
4. यह प्राधिकार वर्णित शर्तों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

तारीख

हस्ताक्षर

.....

पदनाम

प्राधिकार के निबंधन और शर्तें*

1. यह प्राधिकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन में होगा।
2. यह प्राधिकार या इसका नवीकरण, विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
3. विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्टों को किराए पर नहीं दिया जाएगा, उधार नहीं दिया जाएगा; विक्रय नहीं किया जाएगा या अन्यथा परिवहन नहीं किया जाएगा।
4. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्मिक, उपकरण या कार्य स्थितियों में किसी भी अनधिकृत परिवर्तन किए जाने से उसका प्राधिकार भंग हो जाएगा।
5. प्राधिकृत व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सुविधा को बंद करने के लिए विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करे।

* विहित प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त निबंधन और शर्तें लगाई जा सकेंगी।

प्ररूप-VI

(नियम 16 देखें)

विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए आवेदन

1. अपील हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
2. आदेश की संख्या, तारीख और आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का पता जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
3. अपील किए जाने का आधार
4. पैरा 2 में निर्दिष्ट ऐसे आदेश से भिन्न, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संलग्नकों की सूची।

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम और पता

.....

प्ररूप-VII

(नियम 5(ग) देखें)

वर्षके मासकीतारीखों हेतु जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों को न सौंपने वाली स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा या स्वास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठान पर साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के प्रचालक की रिपोर्ट।

(साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल विहित प्राधिकारी को सूचित किया जाए तथा प्रत्येक मास के पहले सप्ताह तक पिछले मास के विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाए)

क्र.सं.	विवरण				
1.	सुविधा के प्रचालक का विवरण	:			
	(i) प्राधिकृत व्यक्ति (अधिभोगी/प्रचालक) का नाम	:			
	(ii) साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा का नाम	:			
	(iii) पता	:			
	(iv) दूरभाष सं., फैक्स सं.	:			
	(v) ई-मेल आइडी	:			
2.	स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा या स्वास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठान में ली गई सदस्यता की कुल संख्या	:	सरकारी	निजी	अर्ध-सरकारी
3.	सदस्य स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा (एचसीएफ) या स्वास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठान (एचसीई) से एक दिन/मास में उत्सर्जित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की कुल औसत मात्रा (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा जारी प्राधिकार पर आधारित)	:कि.ग्रा./टन में		
			एचसीएफ या एचसीई का प्रकार या जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की श्रेणी	सरकारी कि.ग्रा. में	निजी कि.ग्रा. में
			पीली		अर्ध सरकारी कि.ग्रा. में
			लाल		
			नीली		
			सफेद		
4.	प्रति मास कि.ग्रा. या टन में इस अवधि के लिए मास के दौरान प्राप्त जैव चिकित्सीय अपशिष्ट	:	पीली श्रेणी :		
			लाल श्रेणी :		
			नीली श्रेणी :		
			सफेद श्रेणी :		
5.	वर्षके मासके लिए जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट न भेजने वाली सदस्य स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा (एचसीएफ) या स्वास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठान (एचसीई) की सूची	:			

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट इस साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के पास उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

तारीख :

स्थान :

संस्था के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

[फा.सं. 3-1/2000-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2015

G.S.R. 450(E).—Whereas the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, notification number S.O. 630 (E), dated the 20th July, 1998, as amended from time to time, provided a regulatory frame work for management of bio-medical waste generated in the country;

And whereas, the Central Government considers it necessary in the public interest and to address environmental and health concerns, to review the rules published earlier, to enable the prescribed authorities to implement the rules more effectively, thereby, reducing the bio- medical waste generation and also for its proper treatment and disposal and to ensure environmentally sound management of these wastes;

And whereas, the draft rules, namely, the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 2011 were published by the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S. O. 1955 (E), dated the 24th August, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary of the same date inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th day of August, 2011;

And whereas, the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

And whereas,, the said draft rules could not be finalised pending consensus on certain issues relating to categorisation of bio-medical waste and emission standards for bio-medical waste incinerators;

And whereas, the Central Government intends to notify again the revised version of the said draft rules in the public interest;

Now, therefore, the following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, is hereby published for information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to public ;

Any person desirous of making any objection or suggestion with respect to the said draft rules may forward the same, within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Indira Paryavaran Bhavan, Jorbagh Road, New Delhi – 110003, or electronically e-mail to bnsinha@gov.in, shard.sapra@nic.in;

The objections or suggestions which may be received from any person and institution in respect of the said draft rules before the period specified above will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.- These rules may be called the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.-These rules shall apply to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, or handle bio-medical waste in any form and shall not apply to -

- (a) radioactive wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962(33 of 1962) and the rules made there under;
- (b) hazardous chemicals covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 made under the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) (herein referred to as the Act);
- (c) wastes covered under the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Act;
- (d) the lead acid batteries covered under the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 made under the Act;
- (e) hazardous wastes covered under the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 made under the Act;
- (f) waste covered under the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011 made under the Act; and

(g) hazardous microorganisms, genetically engineered microorganisms and cells covered under the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro organisms, Genetically Engineered Microorganisms or Cells Rules, 1989 made under the Act.

3. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) "animal house" means a place where animals are reared/kept for the purpose of experiments or testing;
- (c) "authorisation" means permission granted by the authority for the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal or any other form of handling of bio-medical waste in accordance with these rules and guidelines issued by the Central Government or, as the case may be, the Central Pollution Control Board;
- (d) "authorised person" means an occupier or operator authorised by the prescribed authority to generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose or handle bio-medical waste in accordance with these rules and the guidelines issued by the Central PGovernment or, as the case may be, the Central Pollution Control Board;
- (e) "bio-medical waste" means any waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunisation of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in the production or testing of biologicals, including cthe ategories mentioned in Schedule I to these rules;
- (f) "biologicals" means any preparation made from organisms or micro-organisms or product of metabolism and biochemical reactions intended for use in the diagnosis, immunisation or the treatment of human beings or animals or in research activities pertaining thereto;
- (g) "bio-medical waste treatment and disposal facility" means any facility wherein treatment, disposal of bio-medical waste or processes incidental to such treatment and disposal is carried out, and includes common treatment facilities;
- (h) "occupier" means a person having administrative control over the institution and the premises generating bio-medical waste, which includes a hospital, nursing home, clinic, dispensary, veterinary institution, animal house, pathological laboratory, blood bank, health care facility and clinical establishment, irrespective of their system of medicine and by whatever name they are called;
- (i) "operator of a common bio-medical waste treatment facility" means a person who owns or controls or operates a common facility for the collection, reception, storage, transport, treatment, disposal or any other form of handling of bio-medical waste;
- (j) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;
- (k) "Form" means Form annexed to these rules;

4. Duties of the occupier.-It shall be the duty of every occupier to-

- (a) take all necessary steps to ensure that bio-medical waste is handled without any adverse effect to human health and the environment in accordance with these rules;
- (b) provide training for all its health care workers and others involved in handling of bio medical waste at the time of induction and at least once a year thereafter;
- (c) immunise all its health care workers and others involved in handling of bio-medical waste for protection against diseases including Hepatitis B and Tetanus that are likely to be transmitted by handling of bio-medical waste;
- (d) ensure segregation of bio-medical waste at the point of generation in accordance with these rules;
- (e) ensure occupational safety of all its health care workers and others involved in handling of bio- medical waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments;
- (f) conduct health check up at the time of induction and at least once in a year for all its health care workers and others involved in handling of bio- medical waste and maintain the records for the same;
- (g) install necessary equipments and regular supply of materials required for proper in house handling of bio-medical waste;
- (h) maintain and update every day the bio-medical waste management register according to the bio-medical waste generated in terms of colour coding as specified in Schedule-I;
- (i) develop a system of reporting of unintended accidents like sharp injuries, mercury spills, fire hazards, which are likely to occur during handling of bio-medical waste and the remedial action taken and the records relevant thereto shall be maintained and reported (including nil report) in Form IV to the prescribed authority along with the annual report;
- (j) inform the prescribed authority immediately in case the operator of a facility does not collect the bio-medical waste within the intended time or as per the agreed schedule;

(k) establish a bio-medical waste management committee, if the health care facility has thirty or more than thirty beds, to review and monitor the activities related to bio-medical waste management, which shall meet once in six months and the record of the minutes of such meetings shall be submitted along with the annual report to the prescribed authority: Provided that the healthcare establishments having less than thirty beds shall designate a qualified person to review and monitor the activities relating to bio-medical waste management within that establishment.

5. Duties of the operator of a common bio-medical waste treatment facility.- It shall be the duty of every operator to -

(a) take all necessary steps to ensure that the bio-medical waste collected from the occupier is transported, handled, stored, treated and disposed of, without any adverse effect to the human health and the environment, in accordance with these rules and guidelines issued by the Central Government or, as the case may be, the Central Pollution Control Board from time to time;

(b) ensure timely collection of bio-medical waste from the occupier as prescribed under these rules;

(c) inform the prescribed authority immediately regarding the health care establishments or health care facilities, which are not handing over the segregated bio-medical waste in accordance with these rules in Form-VII;

(d) provide training for all its workers involved in handling of bio-medical waste at the time of induction and at least once a year thereafter;

(e) undertake appropriate medical examination at the time of induction and at least once in a year and immunise all its workers involved in handling of bio-medical waste for protection against diseases, including Hepatitis B and Tetanus, that are likely to be transmitted while handling bio-medical waste and maintain the records for the same;

(f) ensure occupational safety of all its workers involved in handling of bio-medical waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments;

(g) develop a system of reporting of unintended accidents like sharp injuries, mercury spills, fire hazards, which are likely to occur during handling of bio-medical waste and the remedial action taken, and the records relevant thereto shall be maintained and reported (including nil report) in Form-IV to the prescribed authority along with the annual report;

(h) maintain a log book for each of its treatment equipment according to weight of batch; categories of waste treated; time, date and duration of treatment cycle and total hours of operation.

6. Duties of authorities.- The Authority specified in column (2) of Schedule-V shall perform the duties as specified in column (3) thereof in accordance with the provisions of these rules.

7. Treatment and disposal.- (1) Bio-medical waste shall be treated and disposed of in accordance with Schedule I, and in compliance with the standards provided in Schedule IV.

(2) Any person including an occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility, intending to use new technologies for treatment of bio medical waste other than those listed in Schedule I, shall request the Central Government for laying down the standards or operating parameters.

(3) On receipt of a request referred to sub-rule (2), the Central Government shall determine the standards and operating parameters for new technology and shall be notified by the Central Government and the Schedules I and IV shall stand modified accordingly.

(4) Every occupier, shall either set up his own requisite bio-medical waste treatment equipments like autoclave or microwave, shredder for treatment of bio-medical waste generated in his premises as a part of on-site treatment, prior to commencement of its operation or ensure requisite treatment of bio-medical waste through an authorised common bio-medical waste treatment facility or any other authorised bio-medical waste treatment facility:

Provided that the prescribed authority may authorise the occupier having five hundred or more bed capacity to install an incinerator, depending on the recipient environment and the location warranting such a course of action, where the services of common bio-medical treatment facility are not available.

(5) Every Operator of a common bio-medical waste treatment facility shall set up requisite bio-medical waste treatment equipments like incinerator, autoclave or microwave, shredder and effluent treatment plant as a part of treatment, prior to commencement of its operation.

(6) Use of chlorinated plastic bags for handling of bio-medical waste shall be prohibited and the occupier or operator of a common bio-medical waste treatment facility shall not dispose of such plastics by incineration.

(7) The occupier or operator of a common bio-medical waste treatment facility shall dispose of the treated recyclable bio-medical wastes such as plastics and glass through recyclers having valid consent, authorisation or registration from the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territory, after ensuring treatment by autoclaving or microwaving followed by mutilation or shredding, whichever is applicable.

(8) The occupier shall maintain a record of recyclable wastes referred to in sub-rule (7) which are auctioned or sold and the same shall be submitted to the prescribed authority.

(9) In the event of breakage of mercury containing medical instruments, necessary precautions shall be taken by the occupier to segregate such waste to the extent possible and also for its proper collection, storage and disposal as per rules and the guidelines issued by the Central Government or, as the case may be, the Central Pollution Control Board in order to avoid or minimize mercury releases into the environment.

8. Segregation, packaging, transportation and storage.- (1) No untreated bio-medical waste shall be mixed with other wastes.

(2) The bio-medical waste shall be segregated into containers or bags at the point of generation in accordance with Schedule I prior to its storage, transportation, treatment and disposal.

(3) The containers or bags referred to in sub-rule (2) shall be labeled as specified in Schedule II.

(4) The transporter shall transport the bio-medical waste from the premises of an occupier to any off-site bio-medical waste treatment facility only with the label as provided in Schedule II along with the necessary information as specified in Schedule III.

(5) Notwithstanding anything contained in the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988) or the rules made there under, untreated bio-medical waste shall be transported only in such vehicle as may be authorised for the purpose by the competent authority specified by the Government.

(6) Untreated bio-medical waste of categories human anatomical waste, animal anatomical waste, soiled waste and microbiology, biotechnology and other clinical laboratory waste shall not be stored beyond a period of forty-eight hours:

Provided that in case for any reason it becomes necessary to store such waste beyond such a period, the authorised person shall inform the reasons for doing so in writing to the prescribed authority, obtain permission of the prescribed authority and take appropriate measures to ensure that the waste does not adversely affect human health and the environment.

(7) The municipal body of the area shall continue to pickup and transport segregated non bio-medical solid waste generated in hospitals and nursing homes, as well as duly treated bio-medical wastes, for disposal in accordance with the rules notified by the Central Government for management of municipal solid wastes.

9. Prescribed authority.- (1) The prescribed authority for implementation of the provisions of these rules shall be the State Pollution Control Boards in respect of States and Pollution Control Committees in respect of Union territories.

(2) The prescribed authority for enforcement of the provisions of these rules in respect of all health care establishments including hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, veterinary institutions, animal houses, pathological laboratories and blood banks of the Armed Forces under the Ministry of Defence shall be the Director General, Armed Forces Medical Services, who shall function under the supervision and control of the Ministry of Defence.

(3) The prescribed authorities shall comply with the responsibilities as stipulated in Schedule V of these rules.

10. Procedure for authorisation.- (1) Every occupier or operator involved in generating or collecting or receiving or storing or transporting or treating or disposing treatment bio-medical waste, irrespective of the quantum of bio-medical waste generation shall make an application in Form I to the prescribed authority for grant of authorisation in Form V:

Provided that such authorisation shall be required on one time basis for occupier providing treatment or services to less than thousand patients per month and the authorisation in such cases shall be deemed to have been granted, if not objected to within a period of ninety days from the date of receipt of duly completed application along with such necessary documents.

(2) The prescribed authority shall, on receipt of application, make necessary enquiry and if it is satisfied that the applicant possesses the capacity to handle bio-medical waste in accordance with these rules, may grant or renew an authorisation, as the case may be.

(3) In case of the occupier providing treatment or service to more than thousand patients per month or the operator of common bio-medical waste treatment facility, the first authorisation shall be granted for a trial period of one year, to enable, them to demonstrate the adequacy of their waste management system and on satisfactory performance, the authorisation may be renewed up to a period of five years at a time.

(4) The prescribed authority may after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant and for the reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew authorisation.

(5) Every application for authorisation shall be disposed of by the prescribed authority within a period of ninety days from the date of receipt of duly completed application along with such necessary documents, failing which it shall be deemed that the authorisation is duly granted under these rules.

(6) The prescribed authority may cancel or suspend an authorisation, if for reasons, to be recorded in writing, the occupier or operator has failed to comply with any provision of the Act or these rules:

Provided that no authorisation shall be cancelled or suspended without giving a reasonable opportunity to the occupier or operator of being heard.

(7) Every occupier or operator shall intimate to the prescribed authority about any change or variation in the activity relating to bio-medical waste generation, handling, treatment and disposal, for which authorisation was earlier granted, and shall submit a fresh application in Form-I for modification of the conditions of authorisation.

11. Advisory Committee.- (1) Every State Government or Union territory Administration shall constitute an advisory committee under the chairmanship of the respective Health Secretary.

(2) The advisory committee shall include representatives from the departments of health, environment, urban development, animal husbandry and veterinary sciences of that State Government or Union territory Administration, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, local bodies or urban or municipal corporation, representatives from Indian Medical Association, common bio-medical waste treatment facility and non-governmental organisation.

(3) The advisory committee shall meet once in six months and review all matters related to implementation of the provisions of these rules.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Ministry of Defence shall constitute in that Ministry, an Advisory Committee consisting of the following, in respect of all health care facilities of the Armed Forces under the Ministry of Defence, to advise the Director General, Armed Forces Medical Services and the said Ministry in matters relating to implementation of these rules, namely:-

- | | | |
|-------|--|--------------|
| (i) | Additional Director General of
Armed Forces Medical Services | ... Chairman |
| (ii) | A representative of the Ministry of Defence
(not below the rank of Deputy Secretary,
to be nominated by that Ministry) | ... Member |
| (iii) | A representative of the Ministry of Environment,
Forest and Climate Change

(not below the rank of Deputy Secretary,
to be nominated by that Ministry) | ... Member |
| (iv) | A representative of the Ministry of Health
and Family Welfare
(not below the rank of Deputy Secretary,
to be nominated by that Ministry) | ... Member |
| (v) | A representative of the Armed
Forces Medical College or Command Hospital

(To be nominated by Director General Armed Forces Medical Services) | ... Member |

(5) The Ministry of Defense may co-opt representatives from the other governmental and non-governmental organisations having expertise in the field of bio-medical waste management.

(6) The advisory committee shall meet once in six months and review all matter related to implementation of the provisions of these rules in the Armed Forces Health Care Facilities.

12. Monitoring of implementation of the rules in Armed Forces health care facilities.-

(1) The Central Pollution Control Board shall monitor the implementation of these rules in respect of all the Armed Forces health care establishments under the Ministry of Defence;

(2) After giving prior notice to the Director General Armed Forces Medical Services, the Central Pollution Control Board along with one or more representatives of the Advisory Committee constituted under sub-rule (2) of rule 11 may inspect any Armed Forces health care establishments.

(3) Every State Government or Union territory Administration shall constitute District Level Monitoring Committee in the districts under the chairmanship of District Medical Officer or his nominee, to monitor the compliance of the

provisions of these rules in the health care facilities generating bio-medical waste and in the common bio-medical waste treatment and disposal facilities, where the bio-medical waste is treated.

(4) The District Level Monitoring Committee constituted under sub-rule (3) shall submit its report once in six months to the State Advisory Committee and a copy thereof shall also be forwarded to State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned for taking further necessary action.

(5) The District Level Monitoring Committee shall comprise of Chief Medical Officer or District Health Officer, representatives from State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, Public Health Engineering Department, local bodies or municipal corporation, Indian Medical Association, common bio-medical waste treatment facility and registered non-governmental organisations working in the field of bio-medical waste management, headed by the District Medical Officer or his nominee; and the committee may co-opt other members and experts, if necessary.

13. Annual report.- (1) Every occupier or operator of common bio-medical waste treatment facility shall submit an annual report to the prescribed authority in Form II and III, respectively, by the 31st day of January of every year, to include information about the categories and quantities of bio-medical wastes handled during the preceding year.

(2) The prescribed authority shall send this information in a compiled form to the Central Pollution Control Board on or before the 31st day of March of every year.

(3) The Central Pollution Control Board shall send this information in a compiled form to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on or before 30th June of every year.

14. Maintenance of records.- (1) Every authorised person shall maintain records related to the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal or any other form of handling of bio-medical waste in accordance with these rules and guidelines issued by the Central Government or, as the case may be, the Central Pollution Control Board.

(2) All records shall be subject to inspection and verification by the prescribed authority at any time.

15. Accident reporting.- (1) When any accident occurs at any institution or facility or any other site, where bio-medical waste is handled or during transportation of such waste, the authorised person shall intimate in writing to the prescribed authority about such accident forthwith.

(2) The authorised person shall forward a report on the accident in Form IV within one month from the date of the accident to the prescribed authority.

(3) The relevant information about the accidents shall be included in the Annual Report to be submitted to the prescribed authority in accordance with rule 13.

16. Appeal.-(1) Any person aggrieved by an order made by the prescribed authority under these rules may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in Form VI to the Secretary (Environment) of the State Government or Union territory administration.

(2) Any person aggrieved by an order of the Director General Armed Forces Medical Services under these rules may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in Form VI to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change :

Provided that the authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) The appeal shall be disposed of within a period of ninety days from the date of its filing.

17. Site for common bio-medical waste treatment and disposal facility.-(1) Without prejudice to rule 5 of these rules, the municipal corporation, municipal council or other similar local bodies, as the case may be, shall be responsible for providing suitable site for setting up of common biomedical waste treatment and disposal facility in the area under their jurisdiction.

(2) The selection of site for setting up of such facility shall be made in consultation with the prescribed authorities and in accordance with guidelines published by the Central Pollution Control Board.

18. Liability of the occupier, operator of a facility.- (1) The occupier or operator of a common bio- medical waste treatment facility shall be liable for all the damages caused to the environment or the public due to improper handling of bio- medical wastes or disposal of bio- medical wastes.

(2) The occupier shall be liable to pay user fee to municipal corporation, municipal council or other similar local bodies for collection and disposal of solid waste as notified by the urban local bodies in accordance to rules for solid waste management notified under the Act.

(3) The occupier or operator of common bio-medical waste treatment facility shall be liable for action under sections 5 and 15 of the Act.

SCHEDULE I

[See rules 3(e), 4(h), 7(1), 7(1) and 8(2)]

Bio-medical wastes categories and their treatment and disposal options

Category	Type of Waste	Type of Bag/Container to be used	Treatment and Disposal options
(1)	(2)	(3)	(4)
Yellow	(a) Human Anatomical Waste Human tissues, organs and body parts.	Yellow coloured non-chlorinated plastic bags	Incineration
	(b) Animal Anatomical Waste Experimental animal carcasses, body parts, organs, tissues, including the waste generated from animals used in experiments or testing in veterinary hospitals or colleges or animal houses.		
	(c) Soiled Waste Items contaminated with blood, body fluids like gloves, dressings, plaster casts, cotton swabs and bags containing residual or discarded blood and blood components.		
	(d) Expired or Discarded Medicines including all items contaminated with Cytotoxic drugs.	Yellow coloured non-chlorinated plastic bags or containers	Incineration
	(e) Chemical Waste Chemicals used in production of biologicals and used/discarded disinfectants.	Yellow coloured containers or non-chlorinated plastic bags	After treatment liquid waste shall be discharged into drains complying to the discharge norms. Solids shall be disposed in secured landfills or by incineration.
	(f) Discarded linen, beddings contaminated with blood or body fluid.	Non-chlorinated yellow plastic bags or suitable packing material	Incineration or chemical disinfection followed by disposal in municipal sanitary landfill.
	Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory waste Laboratory cultures, stocks or specimens of micro-organisms, live or attenuated vaccines, human and animal cell cultures used in research, industrial laboratories, production of biologicals, residual toxins, dishes and devices used for cultures.	Yellow coloured non-chlorinated plastic bags or containers	Incineration/Autoclaving/micro-waving/hydroclaving/chemical disinfection followed by shredding/mutilation or combination of shredding and sterilization. After the treatment final disposal in secured landfill or disposal through registered or authorized recyclers, whichever is applicable.
Red	Contaminated Waste (Recyclable) (a) Wastes generated from disposable items such as tubings, bottles, intravenous tubes and sets, catheters, urine bags, syringes (without needles).	Red coloured non-chlorinated plastic bags or containers	Autoclaving/micro-waving/hydro-claving/chemical disinfection followed by shredding/mutilation or combination of shredding and sterilization. After the treatment final disposal in secured/sanitary landfill or disposal through registered or waste to energy plant or authorized recyclers, whichever is applicable. In case the occupier does not wish to opt for recycling, the incineration may be opted.


White (Translucent)	Waste sharps including Metals Needles, syringes with fixed needles, scalpels, blades, or any other contaminated sharp object that may cause puncture and cuts. This includes both used, discarded and contaminated sharps	Puncture proof containers	Chemical disinfection/ Autoclaving followed by shredding/mutilation/sterilisation by encapsulation in metal container or cement concrete; combination of shredding cum autoclaving; destruction by needle and tip cutters; whichever is applicable and final disposal through registered or authorized recyclers or secured/sanitary landfill or designated concrete waste sharp pit
Blue	Glass Broken or discarded and contaminated glass		

Notes:

- (1) Chemical treatment using at least 1% hypochlorite solution or any other equivalent chemical reagent. It must be ensured that chemical solution has adequate strength to disinfect all the time during the chemical treatment.
 - (2) Mutilation/shredding must be such that so as to prevent unauthorized reuse.
 - (3) There will be no chemical pretreatment before incineration. Chlorinated plastics/bags shall not be incinerated.
 - (4) Disposal of bio-medical waste by deep burial shall be prohibited in Towns and Cities. Disposal by deep burial is permitted only in rural areas where there is no access to common bio-medical waste treatment facility, with prior approval from the prescribed authority. The deep burial facility shall be located as per provisions and guidelines issued by Central Pollution Control Board from time to time.
 - (5) Liquid waste generated from laboratory, washing, cleaning, house keeping and disinfecting activities shall be treated along with other effluent generated from premises of the occupier or the facility operator so as to meet the discharge standards stipulated under these rules.
 - (6) Incineration ash (ash from incineration of any bio-medical waste) shall be disposed through secured landfill, if toxic or hazardous constituents are present beyond the prescribed limits as given in the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.
- All upcoming Common Bio-medical Waste Treatment Facilities having incineration facility or captive incinerator shall comply with standards for dioxins and furans.

SCHEDULE II

[See rule 8(3) and (4)]

LABEL FOR BIO-MEDICAL WASTE CONTAINERS/BAGS**CYTOTOXIC HAZARD SYMBOL****HANDLE WITH CARE**

Note: Label shall be non-washable and prominently visible.

SCHEDULE III

[See rule 8 (4)]

LABEL FOR TRANSPORT OF BIO-MEDICAL WASTE CONTAINERS OR BAGS

Day Month

Year

Date of generation

Waste category No

Waste quantity.....

Sender's Name and Address

Receiver's Name and Address

Phone No

Phone No

Telex No

Telex No

Fax No

Fax No

Contact Person

Contact Person

In case of emergency please contact

Name and Address :

Phone No.

Note :

Label shall be non-washable and prominently visible.

SCHEDULE IV

[See rule 7(1) and 7(2)]

**STANDARDS FOR TREATMENT AND DISPOSAL OF
BIO-MEDICAL WASTES**

All incinerators shall meet the following operating and emission standards

A. Operating Standards

1. Combustion efficiency (CE) shall be at least 99.00%.
2. The Combustion efficiency is computed as follows:

$$\text{C.E.} = \frac{\% \text{CO}_2}{\% \text{CO}_2 + \% \text{CO}} \times 100$$

3. The temperature of the primary chamber shall be a minimum of 800 °C and the secondary chamber shall be minimum of 1050 °C.
4. The secondary chamber gas residence time shall be at least two seconds.

B. Emission Standards

Sl. No.	Parameter	Standards	
1.	2.	3.	4.
		Limiting concentration in mg/Nm ³ unless stated	Sampling Duration in minutes, unless stated
(1)	Particulate matter	100	30 or 1NM ³ of sample volume (or sample volume), whichever is more
(2)	Nitrogen Oxides NO and NO ₂ expressed as NO ₂	400	30 for online sampling or grab sample
(3)	HCl	50	30 or 1NM ³ of sample volume, whichever is more

(4)	Total dioxins and furans**	0.1ngTEQ/Nm ³ (at 11% O ₂)	8 hours or 5Nm ³ of sample volume, whichever is more
(5)	Hg and its compounds	0.05	2 hours or 1Nm ³ of sample volume, whichever is more

C. Stack Height: Minimum stack height shall be 30 meters above the ground.

Note:

- (a) ** The existing incinerators shall comply with the standards for Dioxins and Furans as 0.1ngTEQ/Nm³ within two years from the date of commencement of these rules.
- (b) Suitably designed pollution control devices shall be installed or retrofitted, if necessary, with the incinerator to achieve the emission limits.
- (c) Wastes to be incinerated shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectants.
- (d) Chlorinated plastics shall not be incinerated.
- (e) Ash from incineration of biomedical waste shall be disposed off through common hazardous waste treatment and disposal facility. However it may be disposed off in municipal landfill, if the toxic metals in incineration ash are within the regulatory quantities as defined under the Hazardous Waste (Management and Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.
- (f) Only low sulphur fuel like Light Diesel Oil or Low Sulphur Heavy Stock or Diesel shall be used as fuel in the incinerator.
- (g) The occupier or operator of a common bio-medical waste treatment facility shall monitor the stack gaseous emissions (under optimum capacity of the incinerator) once in three months through a laboratory approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and record of such analysis results shall be maintained and submitted to the prescribed authority. In case of dioxins and furans, monitoring should be done once in a year.
- (h) All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.
- (i) Incinerators (combustion chambers) shall be operated with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3% or their loss on ignition shall be less than 5% of the dry weight.
- (j) The occupier or operator of a common bio-medical waste incinerator shall use combustion gas analyzer to measure CO₂, CO and O₂.

2. STANDARDS FOR WASTE AUTOCLAVING.-

The autoclave should be dedicated for the purposes of disinfecting and treating bio-medical waste.

(1) When operating a gravity flow autoclave, medical waste shall be subjected to:

- (i) a temperature of not less than 121°C and pressure of 15 pounds per square inch (psi) for an autoclave residence time of not less than 60 minutes; or
- (ii) a temperature of not less than 135°C and a pressure of 31 psi for an autoclave residence time of not less than 45 minutes; or
- (iii) a temperature of not less than 149°C and a pressure of 52 psi for an autoclave residence time of not less than 30 minutes.

(2) When operating a vacuum autoclave, medical waste shall be subjected to a minimum of three pre-vacuum pulse to purge the autoclave of all air. The air removed during the pre-vacuum, cycle should be decontaminated by means of HEPA and activated carbon filtration, steam treatment, or any other method to prevent release of pathogen. The waste shall be subjected to the following:

- (i) a temperature of not less than 121°C and pressure of 15 psi per an autoclave residence time of not less than 45 minutes; or
- (ii) a temperature of not less than 135°C and a pressure of 31 psi for an autoclave residence time of not less than 30 minutes;

(3) Medical waste shall not be considered as properly treated unless the time, temperature and pressure indicators indicate that the required time, temperature and pressure were reached during the autoclave process. If for any reasons, time temperature or pressure indicator indicates that the required temperature, pressure or

residence time was not reached, the entire load of medical waste must be autoclaved again until the proper temperature, pressure and residence time were achieved.

(4) Recording of operational parameters:

Each autoclave shall have graphic or computer recording devices which will automatically and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of the autoclave cycle.

(5) Validation test

The validation test shall use four biological indicator vials or strips; one shall be used as a control and left at room temperature, and three shall be placed in the approximate center of three containers with the waste. Personal protective equipment (gloves, face mask and coveralls) shall be used when opening containers for the purpose of placing the biological indicators. At least one of the containers with a biological indicator should be placed in the most difficult location for steam to penetrate, generally the bottom center of the waste pile. The occupier or operator shall conduct this test three consecutive times to define the minimum operating conditions. The temperature, pressure and residence time at which all biological indicator vials or strips for three consecutive tests show complete inactivation of the spores shall define the minimum operating conditions for the autoclave. After determining the minimum temperature, pressure and residence time, the occupier or operator of a common biomedical waste treatment facility shall conduct this test at least once in three months and records in this regard shall be maintained.

Spore testing:

The autoclave should completely and consistently kill the approved biological indicator at the maximum design capacity of each autoclave unit. Biological indicator for autoclave shall be *Geobacillus stearothermophilus* spores using vials or spore Strips; with at least 1×10^4 spores per milli litre. Under no circumstances will an autoclave have minimum operating parameters less than a residence time of 30 minutes, regardless of temperature and pressure, a temperature less than 121°C or a pressure less than 15 psi. The occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility shall conduct this test at least once in three months and records in this regard shall be maintained.

(6) Routine Test

A chemical indicator strip or tape that changes colour when a certain temperature is reached can be used to verify that a specific temperature has been achieved. It may be necessary to use more than one strip over the waste package at different locations to ensure that the inner content of the package has been adequately autoclaved. The occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility shall conduct this test during autoclaving of each batch and records in this regard shall be maintained.

3. STANDARDS FOR LIQUID WASTE.-

The effluent generated or treated from the premises of occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility, before discharge should conform to the following limits.

PARAMETERS	PERMISSIBLE LIMITS
pH	6.5-9.0
Suspended solids	100 mg/l
Oil and grease	10 mg/l
BOD	30 mg/l
COD	250 mg/l
Bio-assay test	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent.

4. STANDARDS OF MICROWAVING.-

(1) Microwave treatment shall not be used for cytotoxic, hazardous or radioactive wastes, contaminated animal carcasses, body parts and large metal items.

(2) The microwave system shall comply with the efficacy test or routine tests and a performance guarantee may be provided by the supplier before operation of the limit.

(3) The microwave should completely and consistently kill the bacteria and other pathogenic organisms that are ensured by approved biological indicator at the maximum design capacity of each microwave unit. Biological indicators for microwave shall be *Bacillus atrophaeus* spores using vials or spore strips with at least 1×10^4 spores per

milliliter. The biological indicator shall be placed with waste and exposed to same conditions as the waste during a normal treatment cycle.

5. STANDARDS FOR DEEP BURIAL.-

- (1) A pit or trench should be dug about 2 meters deep. It should be half filled with waste, then covered with lime within 50 cm of the surface, before filling the rest of the pit with soil.
- (2) It must be ensured that animals do not have any access to burial sites. Covers of galvanised iron or wire meshes may be used.
- (3) On each occasion, when wastes are added to the pit, a layer of 10 cm of soil shall be added to cover the wastes.
- (4) Burial must be performed under close and dedicated supervision.
- (5) The deep burial site should be relatively impermeable and no shallow well should be close to the site.
- (6) The pits should be distant from habitation, and located so as to ensure that no contamination occurs to surface water or ground water. The area should not be prone to flooding or erosion.
- (7) The location of the deep burial site shall be authorised by the prescribed authority.
- (8) The institution shall maintain a record of all pits used for deep burial.
- (9) The ground water table level should be a minimum of six meters below the lower level of deep burial pit.

Schedule V

[See rule 6]

List of Authorities and the Corresponding Duties

Sl. No.	Authority	Corresponding Duties
1	Ministry of environment, forest and climate change , Government of India	<ol style="list-style-type: none"> (i) Policies concerning Bio-medical waste Management in the Country including notification of Rules and amendments to the Rules as and when required. (i) Financial assistance for training and awareness programmes on bio-medical Waste Management related activities for the State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees. (ii) Financial assistance for setting up of common bio-medical waste treatment and disposal facilities.
2	Central or State Ministry of Health and Family Welfare, Central or State Ministry of Veterinary and Animal Husbandry	<ol style="list-style-type: none"> (i) Grant of license for Health Care Facilities or Nursing Homes or Veterinary Establishments subject to obtaining of authorization from the prescribed authority. (ii) Refusal or Cancellation of license for Health Care Facilities or Nursing Homes or Veterinary Establishments for violations of conditions of authorisation or provisions under these Rules. (iii) Publication of National Inventory of Health Care Facilities with regard to bio-medical waste generation, treatment and disposal. (iv) Assessment with reference to risks to environment and health due to bio-medical waste. (v) Constitution of Advisory Committees at National or State level for overall review and promotion of clean technologies for bio-medical waste management. (vi) Organizing or Sponsoring of trainings for the regulatory authorities on bio-medical waste management related activities. (vii) Sponsoring of mass awareness campaigns in electronic media and print media.

3	Ministry of Defence	<ul style="list-style-type: none"> (i) Grant and renewal of authorisation to Armed Forces Health Care Establishments or Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facilities (Rule 8). (ii) Conduct training courses for authorities dealing with management of bio-medical wastes in Armed Forces Health Care Establishments or Treatment Facilities in association with State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees or Central Pollution Control Board or Ministry of Environment and Forest. (iii) Review of management of bio-medical waste generation in the Armed Forces Health Care Facilities through its Advisory Committee (Rule 9) (iv) Publication of inventory on bio-medical waste generation from Armed Forces Health Care Establishments and submission of the annual report to Central Pollution Control Board within the stipulated time period (Rule 10).
4.	Central Pollution Control Board	<ul style="list-style-type: none"> (i) Co-ordination of activities of State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees. (ii) Conduct training courses for authorities dealing with management of bio-medical waste. (iii) Lay down standards for of new technologies for treatment and disposal of bio-medical waste (Rule 5) and prescribe specifications for treatment and disposal of bio-medical wastes (Rule 5). (iv) Random inspection or monitoring of health care facilities and Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facilities. (v) Submission of compiled annual report information to Ministry of environment, forest and climate change . (vi) Inspection and monitoring of Health Care Facilities operated by the Director General, Armed Forces Medical Services (Rule 9) (vii) Undertake or support research or operational research regarding bio-medical waste.
5.	State Government or Union Territory Government or Administration	<ul style="list-style-type: none"> (i) Allocation of adequate funds to Government Health Care Facilities for bio-medical waste management. (ii) Procurement and allocation of treatment equipments for bio-medical waste management in Government Health Care Facilities. (iii) Advise State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees on implementation of these Rules. (iv) Implementation of recommendations of the Advisory Committee.
6.	State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees	<ul style="list-style-type: none"> (i) Inventorisation of Health Care Facilities and bio-medical waste generation and submission of annual report to Central Pollution Control Board within the stipulated time period. (ii) Grant and renewal or refusal cancellation or suspension of authorization under these Rules (Rule 7, 8 and 10). (iii) Monitoring of compliance of various provisions and conditions of authorization. (iv) Action against Health Care Facilities or Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facilities for violation of these Rules (Rule 15).

		<p>(v) Organizing training programmes to staff of Health Care Facilities or Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facilities and State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees staff on segregation, collection, storage, transportation, treatment and disposal of bio-medical wastes.</p> <p>(vi) Undertake or support research or operational research regarding bio-medical waste management.</p> <p>(vii) Any other function under these Rules assigned by Ministry of environment, forest and climate change or Central Pollution Control Board from time to time.</p> <p>(viii) Implementation of recommendations of the Advisory Committee.</p>
7	Local Bodies such as Gram Panchayat, Municipalities or Corporations.	<p>(i) Provide or allocate suitable land for development of Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility for safe treatment and disposal of bio-medical waste in their respective jurisdictions.</p> <p>(ii) Any other function stipulated under these Rules</p>

FORM - I

(See rule 10)

APPLICATION FOR AUTHORISATION OR RENEWAL OF AUTHORISATION

(To be submitted in duplicate.)

To

The Prescribed Authority
(Name of the State or UT Administration)
Address.

1. Particulars of Applicant

- (i) Name of the Applicant
(In block letters & in full)
(ii) Name of the Institution:
(iii) Address:
(iv) Tele No., Fax No. Telex No.
(v) Email

2. Activity for which authorisation is sought:

- (i) Generation
(ii) Collection
(iii) Reception
(iv) Storage
(v) Transportation
(vi) Treatment
(vii) Disposal
(viii) Any other form of handling

3. Please state whether applying for fresh authorisation or for renewal:

(i) In case of renewal previous authorisation-number and date:

(ii) Status of Consent granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981:

4. (i) Address of the institution handling bio-medical wastes:

- (ii) Address of the place of the treatment facility:
(iii) Address of the place of disposal of the waste(s):

5. (i) Mode of transportation (in any) of bio-medical waste:

(ii) Mode(s) of treatment:

6. Brief description of arrangements for segregation of bio-medical waste, arrangements for storage of bio-medical waste, method of treatment and disposal (attach details):

7. (i) Number of beds in the health care facility:
(ii) Number of patients treated per month in the health care facility:
(iii) Category (see Schedule 1) of waste to be handled
(iv) Quantity of waste (category-wise) to be handled per month

8. Declaration

I do hereby declare that the statements made and information given above are true to the best of my knowledge and belief and that I have not concealed any information.

I do also hereby undertake to provide any further information sought by the prescribed authority in relation to these rules and to fulfill any conditions stipulated by the prescribed authority.

Date : Signature of the Applicant

Place : Designation of the Applicant

Form - II

(See rule 13)

ANNUAL REPORT

(To be submitted to the prescribed authority on or before 31st January every year for the period from January to December of the preceding year, by the Health Care Facility or Health Care Establishment i.e., Occupier)

Sl. No.	Particulars		
1.	Particulars of the Occupier	:	
	(i) Name of the authorised person (occupier)	:	
	(ii) Name of the institution	:	
	(iii) Address	:	
	(iv) Tel. No, Fax. No	:	
	(v) E-mail ID	:	
	(vi) Ownership of the Health Care Facility	:	(State Government or Private or Semi Govt. or any other)
	(vii). Status of Authorization under the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules	:	Authorization No.:..... valid up to
	(viii). Status of Consents under Water Act and Air Act	:	Valid up to:
2.	Type of Health Care Facility	:	
	(i) Bedded Hospital	:	No. of Beds:.....
	(ii). Non-bedded hospital	:	Clinic/Blood Bank or Laboratory or Veterinary Hospital or any other
	(iii). License number and its date of expiry	:	
3.	Categories of Bio-medical waste generated (please indicate category as per the Schedule I	:	
4.	Quantity of waste generated in Kg or Tones per annum (on monthly average basis)	:	Yellow Category : Red Category : White: Blue Category :

5	Additional Details :		
	(i) Brief details of the on-site storage facility	:	Size :
			Capacity :
			Provision of on-site storage : (cold storage or any other provision)
	(ii). Brief details of the on-site treatment facilities	:	Incineration (Yes/No)
			Autoclaving (Yes/No)
			Microwaving (Yes/No)
			Shredding (Yes/No)
			Needle destroyer and Cutter : (Yes/No)
			Needle destroyer :Nos Needle Cutter :Nos.
	(iii) Installed capacity of on-site treatment facility	:	Liquid Waste Effluent Treatment Plant (Yes/No)
			Incineration:Kg/hr
			Autoclaving:.....Kg/batch
			Microwaving:.....Kg/batch
			Shredding:kg/batch
	(iv) Actual quantity of wastes treated in kg or Tons per annum (on monthly average basis) at on-site waste treatment facility	:	Liquid Waste Effluent Treatment Plant:in KL
		Incineration:.....	
		Autoclaving :.....	
		Microwaving:.....	
		Shredding :.....	
(v) Actual quantity of recyclable wastes sold to authorized recyclers after treatment in kg or Tons per annum (on monthly average basis)	:	Liquid Waste Treatment :in KL	
		Red Category (like plastic, glass etc.)	
(vi) Actual quantity of wastes disposed through common facility operator in Kg or Tons per annum (on monthly average basis)	:	Yellow category:	
		Red Category :	
		Blue Category:	
		White Category	
(a) Name of the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility Operator through which wastes are disposed of	:		
(b) Name and address of the Treatment facility with Telephone, Fax and E-mail ID	:		
(vii). Mode of transportation of wastes to the Common Treatment Facility	:		
6.	Any other relevant information	:	(pl. attach schematic diagram of liquid waste effluent treatment plant, Air Pollution Control Devices attached with the Incinerator)

7.	Certified that the above report is for the period from
----	---

Name and Signature of the Head of the Institution

Date:

Place:

Form –III**(See rule 13)****ANNUAL REPORT**

(To be submitted to the prescribed authority on or before the 31st January every year for the period from January to December of the preceding year, by the Operator of a Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility)

Sl. No.	Particulars		
1	Particulars of the Operator of the Facility	:	
	(i) Name of the authorized person (operator of the facility)	:	
	(ii) Name of the Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility	:	
	(iii) Address of the Facility	:	
	(iv) Tel. No. Fax. No	:	
	(v) E-mail ID	:	
	(vi) Ownership of the Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility	:	(State Government or Private or Semi Govt. or any other)
	(vii) Authorization under Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules	:	Authorization No.: Validity up to.....
(viii) Status of Consents under Water Act and Air Act	:	Valid up to:	
2.	Bio-medical waste Categories		
	(i) Waste categories received from the member Health Care Facilities or Health Care Establishments (pl. indicate category numbers as per Schedule I)	:	
	(ii) Waste Categories generated (pl. indicate category number as per Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules)	:	
3.	Quantity of Waste Received in Kg or Tons per annum	:	Yellow category:
		:	Red Category:
		:	Blue Category:
		:	White Category
4.	No. of vehicles used for collection and transportation of bio-medical waste	:	
5. Additional Details			
	(i) Brief details of the treatment units in the Common treatment facility	:	Waste Storage Room (Yes/No)
		:	Incineration (Yes/No)
		:	Autoclaving (Yes/No)
		:	Microwaving (Yes/No)
		:	Shredding (Yes/No)

			Liquid waste effluent treatment plant (Yes/No)
			Vehicle Washing Facility (Yes/No)
			DG Set provision (Yes/No)
	(ii) Installed Capacity of the treatment units of the Biomedical Waste Treatment and Disposal Facility	:	Storage and the provision of storage:
			Incineration : kg/hr
			Autoclaving : Kg/batch
			Microwaving: Kg/batch
			Shredding:kg/batch
			ETP for liquid waste: KL
			Encapsulating structure/Sharp pit
			Secured landfill
	(iii) Category-wise quantity of bio-medical waste treated in kg or tons per annum (on monthly average basis)	:	Yellow category:
			Red Category:
			Blue Category:
			White Category
	(iv) Actual quantity of recyclable wastes sold to authorized recyclers after treatment in kg or tons per annum (on monthly average basis)	:	Red Category: (indicate item-wise details and the quantity)
	(v) Quantity of waste generated during the treatment of wastes in Kg or Tons per annum (on monthly average basis)	:	Incineration ash:
			Effluent Treatment Plant Sludge :
	(vi) Actual quantity of wastes disposed in secured landfill in Kg or Tons per annum (on monthly average basis)	:	Incineration ash:
			Effluent Treatment Plant Sludge :
	(a) Name and location of the secured landfill where disposable wastes are disposed of	:	
	(vii) Mode of transportation of bio-medical wastes from Occupier to the common treatment facility	:	
6.	(i) Number of accidents occurred during the period of reporting 9ii) Number of accidents reported to the prescribed authority in accordance to the rule 12 during the period of reporting	:	
7.	Do you have bio-medical waste management committee? If yes, attach minutes of the meetings held during the reporting period	:	
8.	Any other relevant information	:	(pl. attach map of the Biomedical Waste Treatment and Disposal Facility indicating locations of various units, flow diagram of liquid waste effluent treatment plant, schematic diagram of incinerator with Air Pollution Control Devices)
9.	Certified that the above report is for the period from		

Name and Signature of the Head of the Institution

Date:

Place:

FORM - IV**[See rule 4(i), 5(g) and 15 (2)]****ACCIDENT REPORTING**

1. Date and time of accident :
2. Sequence of events leading to accident :
3. The waste involved in accident :
4. Assessment of the effects of the accidents on human health and the environment:
5. Emergency measures taken :
6. Steps taken to alleviate the effects of accidents :
7. Steps taken to prevent the recurrence of such an accident :

Date : Signature

Place: Designation

FORM – V**(See rule 10)****(Authorization for operating a facility for generation, collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical wastes.)**

1. File number of authorisation and date of issue.....
2.of is hereby granted an authorization to operate a facility for collection, reception, treatment storage, transport and disposal of biomedical waste on the premises situated at
3. This authorisation shall be in force for a period of Years from the date of issue.
4. This authorisation is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.

Date Signature.....

..... Designation

Terms and conditions of authorisation *

1. The authorisation shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.
2. The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the prescribed authority.
3. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the biomedical wastes without obtaining prior permission of the prescribed authority.
4. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.
5. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.

* Additional terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.

FORM -VI

(See rule 16)

Application for filing appeal against order passed by the prescribed authority.

1. Name and address of the person applying for appeal :
2. Number, date of order and address of the authority which passed the order, against which appeal is being made (certified copy of order to be attached)
3. Ground on which the appeal is being made.
4. List of enclosures other than the order referred in para 2 against which appeal is being filed.

Signature

Date :

Name and Address.....

Form -VII

[see rule 5 (c)]

Report of the Operator of the Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility on the Health Care Facility or Health Care Establishment not handing over Bio-Medical Wastes for the dates _____ the month of _____, the Year of _____.

(To be informed immediately to the prescribed authority and also to be submitted to the prescribed authority by first week of every month for the previous month, by the Operator of the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility)

Sl. No.	Particulars				
1.	Particulars of the Operator of the facility	:			
	(i) Name of the authorized person (occupier/operator)	:			
	(ii) Name of the Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility	:			
	(iii) Address	:			
	(iv) Tel. No., Fax. No.	:			
	(v) E-mail ID	:			
2.	Total number of Health Care Facility or Health Care Establishment taken membership		Government	Private	Semi-Government
3.	Total Average Quantity of Bio-medical Waste Generated from the member Health Care Facility (HCF) or Health Care Establishment (HCE) in a day/month (based on authorization issued by State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees)	: In Kgs/Tons		
			Type of HCF or HCE or Category of bio-medical waste	Govt. in kgs	Private in kgs
					Semi-Government In kgs
			Yellow		
			Red		
			Blue		
			White		
4.	Bio-medical waste received during the month for the period in kg. or tons per month	:	Yellow category:		
		:	Red category:		
		:	Blue Category		
		:	White Category		

5.	List of member Health Care Facility (HCF) or Health Care Establishment (HCE) not sent bio-medical waste for the month ofof the..... year	:	
----	--	---	--

Certified that the above report is based on the records available with this Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility.

Date :

Place:

Name and Signature of the Head of the Institution

[F. No. 3-1/2000-HSMD]

BISWANATH SINHA, Jt. Secy.